सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–5 (क)
नियम विनियम, अनुदेश निर्देशिका एवं अभिलेख

निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।

कार्यालय–निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल
सहकारिता विभाग
संख्या–749 / नि.स.स.–उत्तरॉचल / 2002
देहरादून दिनॉक जनवरी 02,2003

:आदेषः

सहकारी बैंको में विषेशतः बैंकिग क्षेत्र में ऋण देने की व्यवस्था अत्यन्त जटिल है जिसके कारण इस प्रकार के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति सहकारी बैंको से ऋण लेने में परहेज करते है मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि अत्यधिक कागजी कार्यवाही किये जाने के कारण लोग सहकारी बैंको में ऋण लेने के लिये आवेदन ही नही करते, वर्तमान में बैंकिग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है ब्याज का प्रतिषत हर क्षेत्र में कम हो रहा है, ऋण लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल कर दिया गया है सहकारी बैंकिग व्यवस्था तब तक प्रगति नही कर सकती है जब तक इसे वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल न बनाया जाये।

उपर्युक्त को दृश्टिगत रखते हुये सहकारी बैंको में ऋण लेने की व्यवस्था का सरलीकरण और ब्याज दरों के औचित्य पर सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है समिति एक पक्ष में अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगी।

1–श्री राजेन्द्र प्रसाद षर्मा प्रबन्ध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक– अध्यक्ष।
2–श्री अरविन्द कुमार मिश्रा सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक टिहरी– सदस्य।
3–श्री एल.डी. भगत सचिव / महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक हरिद्वार– सदस्य।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक,

संख्या–749 / नि.स.स.–उ. / 2002 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1–अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल देहरादून।
2–प्रबंध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक, देहरादून।
3–सचिव / महाप्रबन्धक , जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल।
4–सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक रूड़की हरिद्वार।

(अनिल कुमार षर्मा)

निबन्धक,

अति–आवष्यक / प्राथमिकता

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल देहरादून।
पत्रांक 1979–84 /अधि0 / कैम्प /2005–06 /दिनॉक जुलाई 20, 2006।

1–समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

2–समस्त सचिव / महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरॉचल।

विशय–निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेष के परिपत्र सं0 सी–48 / 81–29 / एस.सी. / अधि0 / दिनॉक 29.08.86 का निरस्तीकरण।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह लाया गया है। कि निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेष के उक्त परिपत्र के अनुसार सहकारी कृशि ऋण समितियों के कर्मचारियों के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त किया जा रहा है। जबकि उक्त परिपत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार षुद्ध लाभ की गणना नही की जा रही है। और निर्धारित प्रोत्साहन कमेटी के संज्ञान में लाये बिना उक्त प्रोत्साहन का वितरण किया जा रहा है। अधिकाषं समितियों में कर्मचारियों को उक्त परिपत्र के अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान तो किया जा रहा है। किन्तु समिति सदस्यों को उनके अंषो पर कोई भी लाभांष नही दिया जा रहा है। जिससें कृशक सदस्यों को रोश व्याप्त है।

अतः निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेष के उक्त परिपत्र सी–48 दि0 29.08.86 एवं परिपत्र सं0 सी–133 / वसूली दिनॉक 17.04.86 एवं परिपत्र सं0 सी–1 / अधि / एस.सी. दिनॉक 30.07.86 के क्रियान्वयन पर उत्तरॉचल राज्य में तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

उपरोक्त आदेषों का कड़ाई से पालन किया जाये। निर्देषों का उल्लंधन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस परिपत्र की प्रतिलिपि सचिव, जिला सहकारी बैंक संबधित बैंक अध्यक्ष को भी उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।

(नवीन चन्द्र षर्मा)
निबन्धक
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

पत्रांक– 1979–84 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1–प्रबन्ध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
2–समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
3–अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

4–सचिव सहकारिता, उत्तरॉचल षासन को सूचनार्थ।

निबन्धक
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक– 31 /भवन ऋण /2003–04 /दिनॉक 10 अप्रैल, 2003।

1–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरॉचल।
2–प्रबन्ध निदेषक,
उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0।

इस कार्यालय के परिपत्रांक 577/हाउसिंग दिनांक 05.10.2002 एवं परिपत्रांक 826/हाउसिंग दिनांक 22 मार्च 2003 में ऑषिक संषोधन करते हुए जिला सहकारी बैंको के ऋण व्यवसाय में वृद्धि एवं उत्तरॉचल की जनता के हितार्थ दिये जाने वाले भवन ऋण के सम्बन्ध में निम्न निर्देष निर्गत किये जाते है।

1–आयकरदाता के अतिरिक्त अन्य प्रतिश्ठित नागरिक, व्यवसायी, कृशक, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जिनके नाम वॉछित ऋण की राषि से अधिक मूल्य की अंचल सम्पत्ति हो निर्धारित जमानत देकर नगरपालिका क्षेत्र, टाउन एरिया, छावनी एरिया के साथ ही विकास खण्ड मुख्यालय एवं बैंक षाखा मुख्यालय कस्बा/ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के किनारे तीन लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक भवन ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।

2–जिस क्षेत्रों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का प्राविधान नही है वहॉ पर ग्राम प्रधान से नक्षा स्वीकृत/अनुमोदित कराकर षाखा प्रबन्धक स्वयं निर्मित होने वाले भवन से सन्तुश्ट होने के पष्चात ही ऋण हेतु संस्तुति करेंगे।

3–ऐसे भूखण्डों पर जिनकी रजिस्ट्री नही होती है, 30 वर्श से अधिक अवधि के पट्टे अथवा पुष्तैनी सम्पत्ति होने की दषा में राजस्व रिकार्ड/भूखण्ड स्वामी/पट्टादाता के रिकार्ड में दर्ज कराकर/बन्धक कर त्रिपक्षीय अनुबन्ध कराकर, तीन लाख रू0 की अधिकतम सीमा तक ऋण सुविधा दी जा सकेगी।

4–ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी जो बैंक के कार्यक्षेत्र में सेवारत हो लेकिन भवन जनपद से अन्यत्र बनाने के इच्छुक हो, को जनपद से बाहर भी पूर्व निर्धारित ऋण सीमा के अन्तर्गत ऋण देने की सुविधा प्रदान की जायेगी, यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति के उपरान्त ही हो सकेगी। बैंक यह सुनिष्चित करेगा कि उक्त सम्पत्ति जिस स्थान पर है वहॉ निबन्धक/उप निबन्धक, राजस्व कार्यालय में बैंक के पक्ष ऋण देते समय बन्धक कर ली जाये बैंको से अपेक्षा की जाती है कि बैंक ऋण व्यवसाय में वृद्धि से उपरोक्तानुसार ऋण वितरित करें तथा ऋण देने से पूर्व परिपत्रों के अन्य सभी प्राविधानों का नियमानुसार पालन करते हुए बैंक धन की सुरक्षा भी सुनिष्चित करेंगे।

उपरोक्त संदर्भित पत्रो के अन्य सभी प्राविधान पूर्ववत रहेगें।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक,

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

1—समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
2—क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0को बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी।
3—सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल षासन, देहरादून।
4—सचिव,आवास, उत्तरॉचल षासन, देहरादून।
5—महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचंल।

प्रेशक,

विभापुरी दास
प्रमुख सचिव सहकारिता
उत्तरॉचल षासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

सहकारिता अनुभाग देहरादूनः दिनांक 17 मार्च, 2004।

विशयः— प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियॉ (पैक्स) में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी नियमावली 2004 का प्रख्यापन।

मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो में बैंकिग प्रवृत्ति का बढ़ावा देने तथा प्रारम्भिक कृशि ऋण समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रदेष में मिनी बैंको का गठन किया गया है। मिनी बैंक/पैक्स में जमाकर्ताओं के विष्वास को बनाये रखने के लिए केरल/तमिलनाडु राज्यों के पैटर्न के अनुसार निक्षेप बीमा निधि बनाने पर विचार किया गया जिसमें सहकारी समितियॉ, जिला सहकारी बैंको तथा षीर्श सहकारी बैंक लि0 का अंषदान होगा।

चूँकि सहकारी समितियॉ बैंक नही है, अतः इस प्रकार जमा की गई धनराषि की गारन्टी बीमा के माध्यम से होना सम्भव नही है। इस कठिनाई के निवारण हेतु एक गारन्टी योजना बनाया जाना प्ररतावित है और इसी योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त माडल गाइड लाइन्स के आधार पर प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 निम्नलिखित रूप में प्रख्यापित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

<u>प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004।</u>

1—नाम— इस नियमावली को प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के

लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 कहा जायेगा।

2–परिभाशाएॅ– जब तक कि इस विशय में या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(1) विनियिमावली का तात्पर्य प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समिति मं जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना विनियमावली से है।

(2) समिति का तात्पर्य प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समितियों से है जैसा कि उत्तरॉचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 में परिभाशित है।

(3) बैंक का तात्पर्य– जिला सहकारी बैंक से है।

(4) षीर्श बैंक का तात्पर्य– उत्तरॉ।चल राज्य में कार्यरत षीर्श सहकारी बैंक से है।

(5)विभाग का तात्पर्य– सहकारिता विभाग से है।

(6) षासन का तात्पर्य– उत्तरॉचल षासन से है।

(7)निबन्धक का तात्पर्य– निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल से है।

(8) फण्ड का तात्पर्य– प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समिति निक्षेप गारन्टी से है।

(9)फण्ड का श्रोत– **(1)** बैंक स्तर पर एक कारपस फण्ड बनाया जायेगा जिसे प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समिति निक्षेप गारन्टी फण्ड कहा जायेगा। इस फण्ड में निम्न प्रकार अंषदान किया जायेगा।

अ– प्रारम्भिक कृशि ऋण सहकारी समिति द्वारा विगत 31 मार्च को जमा निक्षेप का 0.18 प्रतिषत (वर्श दौरान बृद्धि निक्षेप राषि पर)

ब–जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च का जमा निक्षेप का 0.10 प्रतिषत
(वर्श दौरान बृद्धि निक्षेप राषि पर)

स– षीर्श सहकारी बैंक द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च का जमा निक्षेप का 0.30 प्रतिषत। (वर्श दौरान बृद्धि निक्षेप राषि पर)

द–राज्य सरकार द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च को जमा निक्षेप का 0.30 प्रतिषत। (वर्श दौरान बृद्धि निक्षेप राषि पर)

(2) प्रथम बार विगत 31 मार्च को समिति के निक्षेप के आधार पर उपर्युक्त अंषदान की गणना की जायेगी तदनुसार प्रत्येक सहकारी वर्श में विगत 31 मार्च को निक्षेप में हुई वृद्धि के आधार पर उपरोक्तानुसार वार्शिक अंषदान की गणना की जायेगी।

(3) देय अंष का भुगतान सहकारी वर्श के समाप्त होने के एक माह के अन्दर सभी अंषदाताओं द्वारा कर लिया जायेगा।

(4) फण्ड की समस्त धनराषि जिला सहकारी बैंक में इस हेतु खोले गये खाते में रखी जायेगी और उस पर बैंक द्वारा वही ब्याज दर की सावधि जमा निक्षेप पर बैंको द्वारा तत्समय दिया जा रहा है दी जायेगी।

(5) समिति द्वारा क्षति की पूर्ति सम्बन्धित से कानूनी कार्यवाही करते हुए वसूल करके की जायेगी। इस प्रकार वसूल की गयी धनराषि समिति द्वारा बैंक कारपस फण्ड में जमा करने हेतु हस्तान्तरित की जायेगी।

योजना की परिधि में आने वाली समितियॉ–

(क)यह योजना उन्ही समितियों पर लागू होगी जो निम्नलिखित षर्तो की पूर्ति करती हो–
(1)समिति द्वारा नियमित रूप से व्यवसाय विकास योजना बनायी जा रही हो।
(2)समिति लाभप्रद व्यवसाय कर रही हो।
(3) समिति में विगत सहकारी वर्श के समाप्ति की तिथि को 6 माह की अधिक की अवधि से कम से कम 25000–00 रू0 (पच्चीस हजार रूपये) के निक्षेप जमा हो।
(4) समिति में बैंकिग सुविधा तथ काउन्टर सेफ आदि उपलब्ध हो।
(5) जमा निक्षेपों का विधिवत पृथक लेखा रखा जा रहा हो तथा समिति में पूर्णकालिक सचिव अथवा अन्य लिपिकीय वर्ग कर्मचारी हो।
(6) समिति का विगत वर्श तक का आडिट हो गया हो तथा उसका वर्गीकरण कम से कम ग श्रेणी हो।

(ख) समिति द्वारा योजना की सदस्यता हेतु अपने जनपद की जिला सहकारी बैंक को जिला सहायक निबन्धक की संस्तुति के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा जिस पर निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा । सदस्यता स्वीकार होने पर ही योजना का लाभ समिति को प्राप्त हो सकेगा ।

(ग) केष इन हैण्ड सीमा से अधिक समस्त धनराषि समिति द्वारा जिला सहकारी बैंक में जमा करनी होगी ।

(घ) समिति द्वारा 25 प्रतिषत तरल आवरण रखा जायेगा तथा तरल आवरण की धनराषि भी जिला सहकारी बैंक में लाभकारी विनियोजन में रखी जायेगी ।

(ड़) समिति में कार्यरत कर्मचारियों की फाइडेलिटी गारन्टी तथा कैष आदि का बीमा एवं आग, चोरी एवं अन्य कारणों से हुई क्षतिपूर्ति के लिए बीमा, बीमा नियमों से कराना होगा ।

(च) समिति द्वारा निबन्धक/बैक द्वारा निर्धारित लेखा पद्वति के अनुसार जमा निक्षेपों का लेखा रखा जायेगा ।

10– गारन्टी की धनराषि–

(1) समिति स्तर पर एकत्रित किये गये सभी निक्षेपों की गारन्टी एक खातें में ब्याज सहित 8000–00 (आठ हजार रू0 मात्र) तक की होगी जिसकी कुल धनराषि बैंक की निजी पूंजी के 25 प्रतिषत से अधिक नही होगी तद्नेसार जिला सहकारी बैंक द्वारा अपनी उपविधियों में आवष्यक संषोधित कराया जायेगा ।

(2) समिति में निक्षेपकर्ता के एक खाते में अधिकतम गारन्टी की धनराषि ब्याज सहित रू 8000–00 आठ हजार रू0 मात्र) तक होगी परन्तु 10 वर्ष से अधिक अवधि की जमा पर निक्षेप गारन्टी योजना लागू नही होगी ।

11– बैंकों का दायित्वः–

(1) बैंक द्वारा समिति के मिनी बैक में जमा तरल आवरण की राशि को अधिकतम ब्याज दर की सामधि खातें में जमा किया जायेगा । तथा निक्षेप से प्राप्त अन्य राशि (कैश रिजर्व को घटाकर) को विशेष निक्षेप खातें में जमा किया जायेगा । जिस पर बैंक द्वारा अधिकतम सावधि खातें में अनुमन्य ब्याज दर से 1/2 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जायेगा ।

अग्रेतर बैंक को यह अधिकार होगा कि समिति द्वारा फण्ड में किये गये अंशदान से अधिक धनराशि की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित वसूली समिति से करें ले।

(2) योजना में चयनित समितियों को सावधि जमा रसीद, सेंविंग बैंक पास बुक तथा अन्य समस्त स्टेशनरी नकद भुगतान पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

(3) प्रत्येक सामधि जमा रसीद/सेविंग बैंक पास बुक पर जिला सहकारी बैक द्वारा ''गारन्टी'' स्पष्ट रूप से अंकित होगा ।

गारन्टी का इन्वोक किया जानाः–

(1) गारन्टी इन्वोक की दशा में निक्षेपकर्ता को उसके खातें में पडी धनराशि का 1/10 अथवा रू0 500–00 (पॉच सौ) जो भी कम होगा, समिति द्वारा तत्काल भुगतान किया जायेगा लेकिन इससे ऊपर की धनरारशि के भुगतान हेतु निक्षेपकर्ता द्वारा 15 दिन की नोटिस समिति को दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) निक्षेपकर्ता द्वारा गारन्टी इन्वोक किये जाने पर संबन्धित समिति के सचिव द्वारा सम्पूर्ण विवरण सहित सुस्पश्ट प्रस्ताव बैंक को भेजा जायेगा।

(3) बैंक स्तर पर इस प्रकार इन्वोक की गयी गारन्टी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का रीक्षण कर क्लेन्स का निस्तारण निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगा–

1– सभपति बैंक।
2– क्षेत्रीय प्रबन्ध/प्रतिनिधि षीर्श सहकारी बैंक।

अध्यक्ष

3– जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ। सदस्य
4– उन दो सहकारी समितियों के अध्यक्ष जिनके द्वारा विगत 31 मार्च को सर्वाधिक अंषदान किया गया हो। सदस्य
5– सचिव/महाप्रबन्धक। सदस्य/संयोजक

(4) निक्षेपकर्ता को क्षति की स्थिति में कमेटी की स्वीकृति उपरोक्त बैंक द्वारा फण्ड से एक खाते में ब्याज सहित 8000–00 (आठ हजार रूपये तक मात्र) की ही क्षतिपूर्ति की जायेगी। यदि फण्ड में आवष्यक धनराषि उपलब्ध नही है तो बैंक द्वारा फण्ड को ओवर ड्राफ्ट कर भुगतान किया जायेगा। जो बैंक की निजी पॅूजी के 25 प्रतिषत से अधिक नही होगा।

<u>योजना का अनुश्रवणः–</u>

इस योजना के अनुश्रवण हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(क) चयनित समितियों द्वारा बैंक को समिति में जमा निक्षेप से सम्बन्धित विवरण निबन्धक द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं समय सारिणी के अनुसार प्रेशित किया जायेगा।

(ख) समिति से प्राप्त सूचनाओं का संकलन बैंक की सम्बन्धित षाखा एक पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा एवं बैंक मुख्यालय प्रेशित किया जायेगा तथा तरल आवरण आदि की साप्ताहिक जॉच कर पूर्ति कराई जायेगी बैक द्वारा संकलित विवरण निर्धारित प्रारूप पर षीर्श सहकारी बैंक को प्रेशित किया जायेगा।

(ग) चयनित समिति का आडिट नियमित रूप से अगले सहकारी वर्श के अन्त तक अवष्य कर लिया जायेगा।

(घ) विभाग/बैंक द्वारा नियमित रूप से समिति निरीक्षण कराया जायेगा।

(च) उक्त नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली में यदि संषोधन/परिवर्द्धन/नये नियम को जोडने अथवा हटाये जाने की आवष्यकता होगी तो प्रस्ताव प्राप्त होने पर षासन के अनुमोदन से निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल द्वारा किया जयेगा।

आज्ञा से

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव, सहकारिता

संख्या 6438–43 /व0ग्रा0वि0 /सहकारिता /2003–04 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु–

1–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।
2–समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
3– प्रबन्ध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 द्वारा सम्वर्ग कार्यालय, देहरादून।
4– निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल देहरादून।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक/अपर सचिव सहकारिता

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक– सी–42 /स्व0रा0 योजना0 /2003–04 /दिनॉक दिसम्बर 17. 2005।

1–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0
उत्तरॉचल।

2–समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना/स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित इस कार्यालय के परिपत्रांक सी–128/दिनांक 24.11.2001 सं0 164 दिनांक 06.12.2001 सं0 189 दिनांक 17.10.2002 सं0 640 दिनांक 20.11.2002 व पत्र संख्या सी–15 दिनांक 31 मई 2003 का संन्दर्भ

ले। उक्त योजना के अन्तर्गत समूहों को जिला सहकारी बैंको को षाखाओं एवं समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) जिनमें सामान्यतः मिनी बैंक हो, से सम्बद्ध कर वित्तपोशण करने के सम्बन्ध में संषोधित कर निम्न दिषा निर्देष किये जाने है।

1– बैंक षाखा एवं समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) का चयन–

उत्तरॉ।चल के समस्त जिला सहकारी बैंको की समस्त षाखायें इस योजना में वित्तपोशण करने के लिए अधिकृत होगी। उत्तरॉचल में स्थित ऐसी समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) जो मिनी बैंक का कर्य करती हो अथवा उसका कर्य व्यवसाय अच्छा हो, उक्त योजनाओं में वित्तपोशण करने के लिए अधिकृत होगी समितियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें जिला सहायक निबन्धक व जिला सहकारी बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक सदस्य होगें द्वारा किया जायेगा।

2– अंषधन–

जिस स्वयं सहायता समूह का सम्बद्धीकरण समिति से किया जयेगा उसमें समूह को समिति का सदस्य बनाया जायेगा और वित्त पोशण की स्थिति मे समूह से 120 के अनुपात में अंषपूंजी समूह से अंषधन के रूप में जमा कराई जोयगी। समूह के समस्त ऋणी सदस्यों को समिति का सदस्य बनाया जोयगा। समूह के ऐसे सदस्य जो समिति के पूर्व के सदस्य हो का पूर्व का जमा अंषधन समूह के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि उक्त अंषधन के विपरीत सदस्य द्वारा कोई अन्य ऋण न लिया गया हो।

3– समूह का खाता–

बैंक की षाखा अथवा समिति जिससे भी समूह सम्बद्ध होना चाहता है, वहा समूह के नाम से एक खाता खोलना होगा जिसमें जमा राषि पर बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा। समूह का खाता खोलते समय समूह का प्रस्ताव लिया जोयगा। नये समूह की स्थिति में प्रथम 6 माह तक समिति समूह की गतिविधियों जैसे बैंठक, जमाराषि, आनतरिक ऋण इत्यादि की समीक्षा करती रहेगी। 6 माह पष्चात प्रथम ग्रेडिंग होगी, प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने पर डी0आ0डी0ए0 से न्यूनतम 5000.00 रू0 अधिकतम 10000.00 रू0 रिवाल्विंग फण्ड का चैक दिया जायेगा। यह अनुदान होगा। समिति रिवाल्विंग फण्ड के नाम से अलग से खाता खोलेगी। अनुदान प्राप्त होने के पष्चात समिति द्वारा रिवाल्विंग कैष क्रेडिट स्वीकृत की जायेगी। जो समूह पूर्व जिला सहकारी बैंको से सम्बद्ध है अब समिति के माध्यम से ऋण लेना चाहते है तो उनके खाते समिति में स्थनान्तरित कर दिये जायेगें। समिति द्वारा वित्त पोशण की स्थिति वही मानी जायेगी जो वह बैंक खाता स्थनान्तरण से पूर्व की स्थिति थी।

4– वित्तपोशण–

समूह की प्रथम 6 माह की ग्रेडिंग होने के पष्चात द्वितीय ग्रेडिग होगी। जिसमें समूह के जमा धनराषि के गुणाक में अधिकतम 4 गुने तक ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी। ऋण सीमा के लिए समिति समूह से प्रस्ताव, इकरारनामा, प्रोनोट प्राप्त करेगी, द्वितीय ग्रेडिंग में सफल होने के पष्चात समूह को प्रोजैक्ट लोनिंग भी की जा सकेगी। प्रौजैक्ट की अधिकतम राषि इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये दिषा–निर्देष के अनुरूप होगी।

5– ऋण की स्वीकृति–

समिति से इस योजना के अन्तर्गत वित्तपोशण के लिए निर्धारित प्रारूप पर ओवदन पत्र समिति द्वारा समूह से प्राप्त किया जायेगा, इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र डी0आ0डी0ए0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रेशित नामों को ही स्वीकार विचार हेतु प्राप्त किया जायेगा। सम्बद्ध षाखा आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध षाखा को प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बद्ध षाखा आवेदन पत्र की प्रारम्भिक जॉच कर अपनी संस्तुति समिति से आवेदन पत्र प्रापति के एक सप्ताह के अन्दर बैंक मुख्यालय को प्रेशित करेगी तथा बैंक मुख्यालय इसको एक सप्ताह के अन्दर निवार्य रूप से स्वीकृत/अस्वीकृ/आपत्ति करेगी। इस प्रकार समूह के वित्तपोशण में अधिकतम एक माह का समय निर्धारित किया जाता है। एक समिति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 7.50 लाख रू0 तक ही एक वित्तीय वर्श में वित्तपोशण किया जायेगा। उक्त ऋण की सन्तोशजनक मासिक वसूली होने के पष्चात ही समिति की अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करने का अधिकार परिपत्र संख्या सी–15 दिनांक 31.05.2003 में गठित जिला कमेटी को होगा।

6– समिति को वित्तपोशण का पुर्नवित्त–

इस योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा जो ऋण (अनुदान छोडकर) वितरित किया जायेगा उसका 90 प्रतिषत पुर्नवित्त जिला सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त किया जायेगा।

7– ऋण की वसूली–

इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली का दायित्य समिति सचिव के साथ–साथ समूह के पदाधिकारियों एवे विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवे कर्मचारियों का भी होगा।

8– बीमा–

उक्त ऋण का बीमा राज्य सरकार/निबन्धक , सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल द्वारा अनुमोदित उत्तरॉचल राज्य सरकारी विपणन संघ के माध्यम से कराया जायेगा।

9–ब्याज दर–

उक्त योजनाओं में बैंक द्वारा समिति से 8 प्रतिषत ब्याज लिया जायेगा जो समितियॉ मिनी बैंक का कार्य कर रही है तथा जिसका निक्षेप बैंक के विषेश निक्षेप खाते में जमा राषि तक यदि समिति बैंक से ऋण लेती है तो उस पर बैंक विषेश निक्षेप खाते पर देय ब्याज दर में 1.50 प्रतिषत अधिक सम्मिलित कर ब्याज चार्ज करेगा। ताकि मिनी बैंक निक्षेप संचय का लाभ समिति को मिल सकें। समिति समूह से 11 प्रतिषत की दर से ब्याज चाज्र करेगी। समूह द्वारा सदस्यों से नियमानुसार ब्याज प्राप्त किया जायेगा।

संषोधित परिपत्र सम्बन्धित समितियों को जिला सहायक निबन्धक/सचिव, जिला सहकारी बैंक के द्वारा तत्काल अपने स्तर से प्रेशित किया जायेगा। जिससे कि समय से ऋण वितरण की प्रकिया प्रारम्भ की जा सकें।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक सी–42/दिनॉक उक्त।

पत्रांक सी–42 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–
1– उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
2–समस्त परियोजना निदेषक, डी0आर0डी0ए0 उत्तरॉचल।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरॉचल।
4– विषेश कार्याधिकारी ग्राम्य विकास, उत्तरॉचल षासन देहरादून।
5–प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं ग्राम्य विकास, उत्तरॉचल षासन।
6–निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेशित।

(जी0सी0मैकोटा)
अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक 236 /व्यवसायिक ऋण /2003–04 दिनॉक दिसम्बर 2003।
समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।

विशयः– परिपत्र सं0 सी–127/अधि0/ऋण विविधीकरण/94–95 दिनांक 13 मार्च 1995 एवं परिपत्र सं0 सी–135/अधि0/ऋण विविधीकरण/94–95 दिनॉक 27.03.1995 में आंषिक संषोधन।

निबन्धक सहकारी समितियॉ उ0 प्र0 लखनऊ के उक्त परिपत्रों में उत्तरॉचल के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार ऑषिक संषोधन किये जाते है–

1– ऋण सीमा स्वीकृति का उद्देष्य एवं पात्रता–

योजनान्तर्गत व्यवसायी/दुकानदार (ट्रेडर)/प्रोपराइटर एवं पार्टनरषिप फर्म/निबन्धित ठेकेदार/नर्सिग होम/कम्प्यूटर व्यवसायी (प्रषिक्षण एवं हार्डवेयर)/अन्य कोई प्रतिश्ठित व्यवसाय इत्यादि।

2– ऋण सीमा की धनराषि–

ऋण सीमा को अधिकतम धनराषि दस लाख रूपये होगी, लेकिन किसी फर्म या व्यवसायी के ऋण का सन्तोशजनक परिचालन होने पर वृद्धि कर बीस लाख रूपये तक की जा सकेगी।

3–मार्जिन–

मार्जिन 25 प्रतिषत होगा। ठेकेदारों की लिमिट के आवॅटन के लिए कार्य आवॅटन राषि ऋण सीमा के निर्धारण का आधार होगा। तथा ठेकेदार को 25 प्रतिषत तक की धनराषि अपने संसाधनों से लगानी होगी। ऋण सीमा की अवधि एक वर्श होगी।

4–प्रतिभूति–

बन्धक/दृश्टिबन्धक ऋण सीमायें स्वीकृति हेतु ऋण से क्रय किये गये माल को बन्धक/दृश्टिबन्धक रखे जाने के साथ–साथ ऋण सीमा की धनराषि के बराबर कोलेटरल सिक्योरिटी यथा भूमि, भवन सावधि निक्षेप, अन्य कोई जमा निधि, बाण्ड, बीमा पालिसी (जमा प्रीमियम राषि तक) सम्बन्धित विभाग से लिये मार्क कराकर की जायेगी।

5–ब्याज दर–

उक्त ऋण पर बयाज दर 12 प्रतिषत होगी।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–
1–उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
2–प्रबन्ध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0।
3–सदस्य सचिव, सन्वर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक लि0 सेवा उत्तरॉचल।

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
परिपत्र संख्या 207 /2003–04 /एस0जी0सी0 /दिनॉक 7 नवम्बर 2003।

1–समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

2–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।

विशयः–स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस0सी0सी0) योजना–तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु।

महोदय,

किसी उद्यम की सफलता के लिए वित्तीय संसाधनों की समय से एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। लगभग सभी मामलों में उद्यमी वित्तीय सहायता के लिए बाहरी स्त्रोतो पर निर्भर करते है तथा बैंको सहित संस्थागत वित्त क्षेत्र उन्हे आवष्यक संसाधन ऋण प्रदान करते है देष में बैंकिग परिदृष्य तेजी से बदल रहा है। वित्तीय क्षे. में सुधारों की प्रक्रिया से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सभिनव ऋण सहयोगों की आवष्यकता की महत्ता उजागर हुई है। ऐसे किसी भी अभिनव सहयोग में उधारकर्ताओं के लिए परिचालनगत लचीलेपन के साथ पर्याप्त मात्रा में समय पर ऋण और बीमा सुरक्षा षामिल होनी चाहिए।

विभिन्न कारणों से छोटे उधारकर्ताओं, विषेश रूप से कम साधनों वाले व्यक्तियों को संस्थगत प्रणाली से ऋण वितरण संतोशजनक नही रहा है जिसकी पुश्टि विभिन्न अध्ययनों द्वारा भी हुई है। गरीबों को वित्तीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिए एस0एच0जी0 बैंक लिकेज कार्यक्रम के रूप में विभिन्न ऋण वितरण सहयोग किसानों की उत्पादन ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ की है। तथापि छोटे कुटीर और ग्रामोद्योग क्षेत्र और स्वरोजगार व्यक्तियों को किसी भी क्रेडिट योजना में षामिल नही किया गया है। अधिकतर कास्तकार हथकरधा बुनकर हस्तषिल्पकार, मछुआरों, स्वरोजगार व्यक्तियों आदि जिनकी ऋण जरूरते रू0 25000–00 तक की है, उन्हे आसानी से ऋण प्राप्त करवाने के लिए प्राथमिकता दी जानी है। छोटे उधारकर्ताओं को ऋण आवष्यकतायें निवेष, उत्पादन और उपभोग प्रयोजनों से सबंधित है। यदि उनकी सभी प्रकार की आवष्यकतायें उचित लचीले पन के साथ एक ही श्रोत से पूरी हो जाती है तो उनका उद्यम सफल हो सकता है। इस दृश्टिकोण से इन समूहों के छोटे उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना के रूप में एक अभिनव ऋण वितरण प्रणाली लागू करना अत्यन्त आवष्यक है। उनकी आवष्यकतायें पूरी करने के लिए एक नई क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना की घोशणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2003 को उनके स्वतत्रंता दिवस उद्बोधन में की गयी।

कास्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों के लिए एक उपर्युक्त क्रेडिट कार्ड व्यवसाय आरम्भ करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोशणा के परिणामस्वरूप नइ दिल्ली में एक विषेश बैठक आयोजन की गयी जिसमें भारत सरकार, भरतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने भाग लिया। ग्रामीण कास्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों को लाभन्वित करने के लिए एक विषेश क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। योजना की प्रमुख विषेशता यह है कि इसमें कई स्तरों के छोटे उधारकर्ताओं की, विषेशकर गैर कृशि तथा सेवा क्षेत्रों में, निवेष एवं कार्यषील पूॅजी आवष्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

<u>1–स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एस0सी0सी0) का लागू किया जाना–</u>

उत्तरॉचल राज्य की जनता के हितार्थ उक्त योजना उत्तरॉचल राज्य निर्माण की तीसरी वर्शगॉठ में 9 नवम्बर 2003 से उत्तरॉचल राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंको षीर्श सहकारी बैंक एवं पैक्स मे लागू की जाती है। इस वर्श 2003–04 में मात्र जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जायेगा तत्पष्चात वर्श 2004–05 में पैक्स एवं षीर्श बैंक द्वारा भी ऋण वितरण किया जायेगा।

2–इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से आने वाले सेवा क्षेत्र लद्यु उद्यमी, ग्रामोद्योग क्षेत्र इत्यादि की सूची संलग्नक [illegible] –[illegible] में दी गई है। लघु परियोजना होने पर एक या एक से अधिक योजनाओं के लिए 25000–00 रू0 की अधिकतम सीमा तक ऋण दिया जा सकता है।

3—उक्त ऋण पर मार्जिन मनी 10 प्रतिषत से अधिक नही होगी।

4—योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम्पोजअ ऋण कार्यषील पूॅजी नकद ऋण सभी सम्मिलित होगी जिसकी अधिकतम राषि 25000—00 रू0 तक होगी। ऋण अवधि/स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 6 वर्श तक वैध होगा लेकिन खाते का संचालन संतोशजनक रहें, इसलिए इसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्श होगा।

5—बैंक षाखा से ऋण दिये जाने की स्थिति में ऋणी को नाममात्रिक सदस्य बनाया जायेगा। पैक्स से वित्तपोशण की स्थिति में ऋणी को पैक्स का सदस्य बनाया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह व ऋणी दोनो को सदस्य बनाया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह व ऋणी दोनों को सदस्य बनाया जायेगा। परिपत्र सं0 सी—15/स्वाश्रीयता दिनॉक 31.03.2003 में पैक्स हेतु विविधीकरण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण भी इस योजना के अन्तर्गत आ सकते है।

6—ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण लेकर क्रय/स्थापित/सृजित की जाने वाली सम्पत्ति का प्रतिभूति माना जायेगा तथा 2 व्यक्तियों की गारन्टी ली जायेगी।

7—उक्त ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर समतुल्य कृशि ऋणों पर लागू ब्याज दर से अधिक नही होगी जो वर्तमान में 11 प्रतिषत है।

8— ऋण की स्वीकृतिः—

उक्त योजना बैंक प्रबन्धक के संज्ञान में लाते हुए तत्काल लागू की जायेगी। *ऋण की स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित षाखा प्रबन्धक एवं सहायक आंकिक/* सहायक को संयुक्त रूप से होगा। पैक्स से ऋण की स्वीकृति का अधिकारी भी सम्बन्धित पैक्स सचिव की संस्तुति पर सम्बद्ध षाखा का होगा।

9—ऋण की वसूली का दायित्व पैक्स सचिव एवं षाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी का होगा।

10—बीमा—

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का समूह बीमा योजना के तहत किया जायेगा। इसका प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा अदा किया जायेगा। बीमा सहकारिता विभाग उत्तरॉचल द्वारा अनुमोदित कम्पनी से दिया जायेगा।

11—प्रगति की समीक्षा—

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में प्रगति की कड़ी निगरानी और नियमित अंतराल पर निम्नानुसार समीक्षा की जायेगी—

ब्लाक स्तर पर— बी.एल.बी.सी. बैठको में तथा/सहकारिता में विकासखण्ड स्तरीय कमेटी।

जिला स्तर पर— डी.सी.सी.बी.डी.एल.आर.सी. बैठकों में /बैंक सचिव एवं/जिला सहायक निबन्धक।

राज्य स्तर पर— निबन्धक सहकारी समिति/एस0एल0बी0सी0 बैठकों में एवं/प्रबन्ध निदेषक षीर्श सहकारी बैंक।

कृपया निर्धारित लक्ष्यों में अनुरूप इस योजना ऋण वितरण करना सुनिष्चित करें।

संलग्न–

1–कार्ड व पास बुक का फार्मेट।

2–नाबार्ड व भारत सरकार के दिषा निर्देष।

3–सम्भावित उद्यमों सेवा क्षेत्र लद्यु व्यवसाय की सूची।

4–वर्श 2003–04 के निर्धारित लक्ष्य।

(अनिल कुमार षर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 को0 बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी।

2–उपनिबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

3–प्रबन्ध निदेषक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0।

4–अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

5–महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक–सी–17 /अधि0 /2005–06 /दिनांक मई 27 2005।

1–समस्त जिला सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

2–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरॉचल।

विशयः–महिला बचत समूहो को वित्त पोशण।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–156/दिनांक 19.07.2003 सी–174/दिनांक 14.08.2003 एवं सेख्या 233/दिनांक 31.12.2003 के द्वारा महिला बचत समूहों के गठन एवं वित्त पोशण के सम्बन्ध में निर्देष दिये गये थे पूर्व में निर्गत परिपत्रों में महिला बचत समूहों को वित्त पोशण के सम्बन्ध में स्थिति स्पश्ट नही थी। अतः उक्त परिपत्रों में वित्त पोशण हेतु दिये गये निर्देषों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्देष दिये जाते है :–

महिला बचत समूहों को वित्त पोशण–

1–महिला बचत समूहों में एक समूह में एक परिवार की एक ही महिला सदस्य होगी।

2–समूह में अधिकतम 5 सदस्य होगें।

3–समूह को वित्त पोशण प्रथम चरण में उन समितियों के माध्यम से प्रारम्भ किया जायेगा जिनमें मिनी बैंक कार्यरत है।

4–समूह को बचत की धनराषि मिनी बैंक में समूह के बचत खाते में जमा की जायेगी जिस पर सावधि खाते की देय अधिकतम ब्याज दर से ब्याज देय होगा।

5–ऋण प्राप्त करने हेतु 01.04.2005 को समूह के खाते कुल जमा धनराषि की 3 गुना धनराषि के बराबर समिति को ऋण सीमा बनाई जायेगी। जो समूहो को वितरित किये जाने वाले ऋण हेतु उपयोग में हो लाई जायेगी। किसी अन्य प्रयोजन हेतु उक्त ऋण सीमा से ऋण आहरित नही किया जायेगा। उक्त ऋण सीमा 31 मार्च, 2006 तक लागू होगी। तत्पष्चात प्रत्येक वर्श के लिए ऋण सीमा का नीवनीकरण किया जायेगा।

6–समिति स्तर पर समूह के खाते में 01.04.2005 को जमा धनराषि की 3 गुना धनराषि तक की ऋण सीमा समिति स्तर पर तैयार की जायेगी। बचत समूहों को वितरित ऋण समिति स्तर पर समूह के ऋण खाते से किया जायेगा एवं उक्त वितरित ऋण की वसूलही की धनराषि समिति के स्तर पर संचालित उक्त खाते में जमा की जायेगी। समूह से वसूल की गई धनराषि समिति द्वारा बैंक में समिति की समूह हेतु स्वीकृत की गई ऋण सीमा में जमा की जायेगी। किसी भी दषा में मिनी बैंक में महिला समूह के खाते में जमा धनराषि अथवा मिनी बैंक की जमा धनराषि से सीधे समूहों को ऋण नही दिया जायेगा।,

7–जिन समूहो के द्वारा समिति से ऋण नही लिया जायेगा उन समूहों की बचत धनराषि भी उक्त प्रकार मिनी बैंक में जमा रहेगी। जिस पर सावधि जमा खाते के अनुसार ब्याज देय होगा। किन्तु समूह के सदस्यों की मांग पर समूह के अध्यक्ष को मिनी बैंक से धन आहरण की सुविधा अनुमन्य रहेगी। किन्तु यदि समूह के द्वारा ऋण प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया जाता है तो मिनी बैंक में समूह के बचत खाते से कोई भी धनराषि तब तक पुनः आहरित नहीं की जायेगी जब तक समूह के द्वारा यह लिखित रूप से समिति को यह सूचित नही किया जाता कि वह अब समिति से कोई व्यवहार नही रखना चाहती है एवं उसके द्वारा समिति से लिये गये ऋण का समस्त भुगतान कर दिया गया है ।

8–समिति के अध्यक्ष के द्वारा समिति को ऋण सीमा स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेशित किया जायेगा एवं समिति व समूह के मध्य समस्त ऋण प्राप्त करने से सम्बन्धित औपचारिकताओं/अनुबन्ध पूर्ण करायें जायेगें।

9– समिति के स्तर से जिला सहकारी बैक को समूहों के कुल जमा धनराषि के 3 गुना राषि तक को पृथक से ऋण सीमा हेतु आवेदन किया जायेगा ।

10– समिति एवं बैंक के स्तर सें महिला समूह ऋण योजना के अन्तर्गत समूह के सदस्यों अथवा समूह से कोई भी मार्जिन मनी नही ली जायेगी क्योंकि उक्त के स्थान पर समूहों द्वारा मिनी बैंक में जमा धनराषि को ही मार्जिन मनी के समतुल्य माना जायेगी ।

11–यदि समूह के सदस्यों के द्वारा अपने बचत खातें में नियमिति रूप से नियमिति रूप से अंषधन नहीं किया जा रहा है तो उस समूह को वित्तपोशण की सुविधा नही दी जोयेगी ।

12– प्रथम चरण में उन्हीं समूहों को वित्त पोशण प्रारम्भ किया जायेगा जिनके सदस्यों के द्वारा विगत 6 माह से नियमित अंषदान दिया जा रहा है ।

13– यदि किसी समूह के सदस्य द्वारा विगत छः माह के नियमित अंषदान में किसी सप्ताह/पक्ष का अंषधन नहीं किया है तो उन सदस्यों के द्वारा एक मुष्त सम्पूर्ण अंषधन को जमा कर दिये जाने पर वह समूह वित्त पोशण की सुविधा प्राप्त कर सकता है।

14– इस योजना में विभाग द्वारा गठित किये गये महिला बचत समूहो को ही सम्मिलित किया जायेगा । एस.जी.एस.वाई. व अन्य स्वयं सहायता समूह जो किसी अन्य योजनाओं से गठित किये गये है उन्हें इस योजना से लाभान्वित नही किया जायेगा ।

ऋण वितरण की प्रकिया–

1– सम्बन्धित समिति के द्वारा जिला सहकारी बैंक की षाखा का अल्पकालीन ऋण की भांति प्रार्थना–पत्र बैक को प्रस्ततु करना होगा । जिसमें प्रत्येंक समूह के सदस्यों की 01.04.2005 बचत की धनराषि अंकित होगी और उसके लिए उस पर अनुमन्य ऋण की धनराषि जो कि 3 गुना तक होगी, अंकित होगी । समिति स्तर पर समस्त समूह के सदस्यों के कुल जमा की राषि की 3 गुना धनराषि की ऋण सीमा की मांग जिला सहकारी बैक से की जोयगी । बैंक षाखा स्तर पर समिति हेतु पृथक से उक्तानुसार ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी जिसे महिला बचत समूह ऋण सीमा का उल्लेख किया जोयगा ।

2–समिति स्तर पर प्रत्येक समूह की पृथक–पृथक से खाता रखा जायेगा जिस पर अल्पकालीन ऋण की भॉति उस समूह को अनुमन्य ऋण सीमा का उल्लेख किया जायेगा।

3–समूह स्तर पर ऋण प्राप्त करने हेतु समिति को लिखित प्रार्थना पत्र एव धनराषि की मांग प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा समूह को एक चैकबुक भी उपलब्ध कराई जायेगी। जिस पर समूह के द्वारा निर्धारित अध्यक्ष एव एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षरों के उपरान्त ही समिति द्वारा समूह को ऋण दिया जायेगा। समूह द्वारा अधिकृत महिलाओं के हस्ताक्षरों की एक प्रति जिला सहकारी बैंक की षाखा में उपलबध रहेगी।

4–समूह से प्राप्त चैक का भुगतान समिति सचिव के द्वारा बैंक षाखा से प्राप्त किया जायेगा जिसका समायोजन बैंक स्तर पर समूह ऋण खाते से किया जायेगा। उक्त धनराषि प्राप्त करने के पष्चात ही समूह को समिति के स्तर से भुगतान किया जायेगा। सामान्यतः समूहों से ऋण हेतु प्राप्त चैकों को सप्ताह में एक दिन जिला सहकारी बैंक की षाखा में प्रस्तुत किया जायेगा। समूहो के चैको को बैंक स्ततर पर समायोजित करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो अंष ख के चैको के समायोजन हेतु प्रचलित है।

5–यदि समूह की ऋण की मांग 5,000.00 से तक है तो समिति उसे मिनी बैंक के अवषेश धन से भुगतान कर सकती है और समिति के द्वारा उक्त चैक को जिला सहकारी बैंक की षाखा में जमा किया जायेगा एवं भुगतान समूह ऋण खाते से प्राप्त किया जायेगा और यदि समिति में समूह को पूर्व में ही अपनी अवषेश रोकड़ अथवा मिनी बैंक की धनराषि से उक्त भुगतान किया गया है तो वह उसकी प्रतिपूर्ति तत्काल समूह ऋण खाते से प्राप्त धनराषि से करेगा।
6–यदि कोई समूह सीधे जिला सहकारी बैंक की षाखा से चैक के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो वह समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये चैक के पृश्ठ भाग पर समिति सचिव का म्दकवतेमउमदज ं के पष्चात बैंक षाखा में चैक प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसकी सूचना जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

7–जिला सहकारी बैंक के द्वारा समिति को समूह ऋण खाते की पृथक से पासबुक निर्गत की जायेगी जिस पर साप्ताहिक इन्द्राज किया जाना आवष्यक होगी।

8–समिति द्वारा समूह को भी ऋण खाते की पासबुक उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर इन्द्राज प्रत्येक दषा पर किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>ब्याज दर–</u>

1–उक्त खाते को महिला बचत समूह ऋण खाता कहा जायेगा।

2–उक्त खाते में जिला सहकारी बैंक समिति को 7 प्रतिषत वार्शिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगा।

3–समिति बचत समूह को 10 प्रतिषत वार्शिक बयाज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी।

4–समूह अपने सदस्यों को 12 प्रतिषत वार्शिक ब्याज दर पर ऋण उपलबध करायेगा।

<u>वसूली–</u>

1–समूह को दिये गये ऋण की किष्तों को निर्धारण समूह के द्वारा निर्धारित किया जोयगा। किन्तु किसी भी दषा में उक्त ऋण 1 वर्श से उधिक का नही होना चाहिए।
2–सामान्यतः ऋण की साप्ताहिक किष्त लगाई जायेगी।

समूह सदस्यों की ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता–

समूह के सभी सदस्यों को प्रथम चरण में एक साथ ऋण नही दिया जायेगा अपितु निम्न प्रक्रियानुसार ऋण वितरित किया जायेगा–
1–उन्ही सदस्यों को ऋण दिया जायेगा जिनके द्वारा महिला बचत समूह खाते में नियमित अंषदान किया जा रहा है।

2–समूह के एक सदस्य को उसके समूह के बचत खाते में किये गये प्रतिदान के तीन गुना राषि तक ही वित्त पोशण किया जायेगा।

3–समूह के प्रथम सदस्य के द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की 4 साप्ताहिक किष्तें अथवा उक्त किष्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पष्चात ही दूसरे सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

4–प्रथम ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 4 सप्ताहिक किष्तो अथवा उक्त किष्तों के समतुल्य धन की वसूली ाहनें के पष्चात ही तीसरे सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

5–प्रथम ऋणी सदस्य की 12 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक एवं तृतीय ऋणी सदस्य की 4 साप्ताहिक किष्तों अथवा उक्त किष्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पचात ही चौथे सदस्य के ऋण दिया जायेगा।

6–प्रथम ऋणी सदस्य की 16 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 12 साप्ताहिक, तृतीय ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक एवं चतुर्थ ऋणी सदस्य की 4 साप्ताहिक किष्तों अथवा उक्त किष्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पष्चात ही पॉचते सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

7–किसी भी एक सदस्य की किष्त अथवा किष्तें वसूल न होने की दषा में अगले सदस्य को तब तक ऋण सुविधा उपलब्ध नही होगी जब तक पूर्व बकायेदारों के द्वारा अपनी समस्त तातारीख किष्तें जमा न कर दी गई हों।

8–यदि समूह की तीन माह तक किष्तें नियमित जमा नही होती है तो उस दषा में समूह को बकायादार मान लिया जायेगा। एवं उसके मिनी बैंक में जमा धनराषि से समूह के सम्पूर्ण ऋण की एक मुष्त ब्याज सहित वसूली कर ली जायेगी। और यदि बचत में कोई धनराषि अवषेश है तो उसे समूह को वापस कर दिया जायेगा।

9–उक्त प्रकार घोशित बकायादार समूह के सम्बन्ध में समिति के नोटिस बोर्ड पर भी विज्ञापित की जायेगी और उक्त समूह को भविश्य में किसी समिति के किसी भी क्रिया–कलापों में सम्मिलित नही किया जायेगा। एवं समूह को महिला बचत समूह योजना से पृथक कर दिया जायेगा।

10–समूह के सदस्यों से वसूली का दायित्य समूह के अध्यक्ष का होगा।

11–समूह से वसूली का दायित्व समिति सचिव का होगा।

12–यदि समूह के किसी सदस्य के द्वारा नियमित रूप से 6 माह तक अपनी किस्तें जमा की गई हो और अन्य ऋणीयों के द्वारा भी अपनी नियमित किस्तों का भुगतान किया जा रहा है तो उस सदस्य को जिसनें 6 महीने तक नियमित भुगतान कर दिया है उसे समूह के ऋण खाते में अपने ऋण की समस्त अवषेश किस्तों को ब्याज सहित भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। और यदि इस प्रकार समूह के ऋण सीमा में धन उपलब्ध हो तो उसे उसके बचत राषि के तीन गुने अथवा ऋण सीमा में उपलब्ध धनराषि तक पुनः ऋण दिया जा सकता है। किन्तु यह सुविधा मात्र एक समूह सदस्य को ही एक वित्तीय वर्श में अनुमान्य होगी।

अनुश्रवण–

1–समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की नियमित समीक्षा विकास खण्ड एवं षाखा स्तर पर पाक्षिक रूप से सहायक विकास अधिकारी (सह0) एवं षाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक द्वारा की जायेगी।

2–जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा मासिक समीक्षा की जायेगी।

3–जिला स्तर से संलग्न प्रारूप पर समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की सूचना प्रत्येक माह मुख्यालय प्रेशित की जायेगी।

ऋण राषि का बीमा :–

1– समूह की सहमति से समिति ऋण राषि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो 10000 रू0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ऋण का भुगतान कराया जायेगा। बीमा प्रीमियम राषि समूह अथवा ऋणी सदस्य द्वारा बहन की जायेगी।

2–सामान्यतः समूह के सदस्यों से अदेय/बकाया रहित प्रमाण–पत्र की आवष्यकता नही होगी। क्योंकि समूह की बचत की अनुरूप ही ऋण की राषि उपलब्ध करायी जा रही है।

3–जिला स्तर से संलग्न प्रारूप पर समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की सूचना प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेशित की जायेगी।

ऋण राषि का बीमा–

1–समूह की सहमति से समिति ऋण राषि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो 10 हजार रू0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ऋण का कराया जायेगा। बीमा प्रीमियम राषि समूह अथवा ऋणी सदस्य द्वारा वहन की जायेगी।

2–सामान्यतः समूह के सदस्यों से अदेय/बकाया रहित प्रमाण–पत्र की आवष्यकता नही होगी क्योंकि समूह की बचत के अनुरूप ही ऋणी की राषि उपलब्ध कराई जा रही है।

अभिलेखों का रख–रखाव–

1–समूह के स्तर पर अभिलेखों का रख–रखाव समूह के अध्यक्ष के द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसकी एक प्रति समूह द्वारा समिति सचिव को उपलब्ध कराई जायेगी।

2– समिति स्तर पर समूह से सम्बन्धित ऋण सीमा एवं खातो को पृथक से संचालित किया जायेगा जिसका दायित्व समिति सचिव का होगा।

3–षाखा स्तर पर समिति को जो समूहों के लिए ऋण सीमा बनाई जायेगी उसका रख–रखाव षाखा स्तर पर पृथक खाते में किया जायेगा।

4–जिला सहकारी बैंक मुख्यालय में महिला बचत समूहों को दी गई ऋण सीमा वसूली एवं उनके द्वारा जमा किये गये धन के सम्बन्ध में एक पृथक से अधिकारी नामित किया जायेगा। जो समस्त योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा एवं इस स्तर से वांछित सूचनाओं को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा। उक्त दायित्व उसी अधिकारी को दिया जाये जो सी–15 मिनी बैंक एवं महिला समूहों की प्रगति एवं समीक्षा हेतु पूर्व से ही नामित किया गया हो।

आडिट–

1–बचत समूहों के लेखों का वार्शिक आन्तरिक आडिट किया जायेगा जो षाखा प्रबन्धक सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक की षाखा एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा एवं समूह को तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जायेगा क्योंकि एक षाखा में अधिक समूहों के सम्बन्ध होने की सम्भावना है अतः आन्तरिक आडिट हेतु समूह के स्तर से अभिलेख आन्तरिक आडिट हेतु जिला सहकारी बैंक की षाखा में उपलब्ध कराये जायेगें।

निरीक्षण–

जिन महिला समूहों में वित्त पोशण प्रारम्भ किया जायेगा। उनके अभिलेखों में त्रुटिया एवं अन्य कमियों का निराकरण करने के लिए एवं योजना को गति प्रदान करने के लिए उन समूहों का नियमित निरीक्षण किया जाना आवष्यक है जिससे कि भविश्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्तायें प्रकाष में न आयें जिसके लिए निम्न व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण किये जायेग।

1–सहायक विकास अधिकारी (सह0) के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्त महिला समूहों का वर्श में 2 बार निरीक्षण किया जायेगा।

2–षाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त महिला समूहों का वर्श में 1 बार निरीक्षण किया जायेगा। षाखा प्रबन्धक उक्त निरीक्षण करने हेतु समूहों के अभिलेखों को षाखा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु समूह को निर्देषित कर सकते है।

3–क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त समूहों का वर्श 4 बार निरीक्षण किया जायेगा।

4–अपर जिला सहकारी अधिकारी उप महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक एवं जिला सहायक निबन्धक जब कभी भी क्षेत्रीय भ्रमण करेगें तो वह अवष्य महिला बचत समूहों के कार्या का निरीक्षण करेगें।

सहकारी सहभगिता योजना से सम्बद्धीकरण–

1–जिन महिला समूहों के सदस्यों द्वारा कृशि अथवा अन्य कृशि कार्यक्रमों हेतु ऋण प्राप्त किया जायेगा वह समूह नियमानुसार परिचय संख्या सी–04/अधि0/दिनांक 11.05.2004 के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृशकों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को 4 प्रतिषत ब्याज राहत के रूप में अनुदान पाने के पात्र होगें। अनुदान मात्र उन्ही सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके द्वारा कृशि अथवा अन्य कृशि ऋण प्राप्त किया गया है न कि समूह के एक सदसय के द्वारा कृशि अथवा अन्य कृशि ऋण प्राप्त करने पर पूरे समूह को अनुदान से आच्छादित किया जायेगा। समिति सचिव उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रारूपों में उक्त की सूचना प्रेशित करेगें जिसमें लाभार्थी के स्थान पर महिला बचत समूह का नाम अंकित होगा।

समूह के बचत खाते से आहरण–

1–यदि किसी महिला बचत समूह द्वारा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त किया है तो उस समूह के बचत खाते से तब तक धनराषि आहरित नही की जायेगी जब तक कि समूह के द्वारा ऋण का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया गया हो। किन्तु विषेश परिस्थिति में समूह के अनुरोध पर समूह की जमा धनराषि का ऋण खाते में हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया जा सकता है। किन्तु उक्त स्थिति में समूह को पर्नवित्त की सुविधा पुनः अनुमन्य करने से पूर्व उसे नियमित रूप से 6 माह तक बचत खाते मे नियमित रूप से अंषदान जमा कराना होगा।

लाभ वितरण–

1–समूह द्वारा उक्त प्रकार से जो भी लाभ अर्जित किया जायेगा उसमें से समूह के व्ययों जैसे कि स्टेषनरी आदि को घटाकर वर्श के अन्त में जो धनराषि अवषेश रहेगी वह समूह के प्रत्येक सदस्य के बचत खाते में उनके प्रतिदान के अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि वह उनकी बचत की धनराषि है। किसी भी दषा में सदस्यों को नकद लाभ वितरित नही किया जायेगा।

जिला सहायक निबन्धक एवं सचि/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक इस परिपत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक समिति में उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेगें एवे योजना का विस्तृत प्रचार–प्रसार भी सुनिष्चित करायेगें।

(नवीन चन्द्र षर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

पत्रांक–　　/दिनॉक　　उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1–समस्त अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक उत्तरॉचल।
2–प्राचार्य, सहकारी प्रबन्ध संस्थान, राजपुर रोड़ देहरादून।

3–प्रबन्ध निदेषक उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
4–अपर निबन्ध/उप निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
5–महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून।
6–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
7–सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल षासन देहरादून।
8–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरॉचल षासन, देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।

सहकारिता विभाग
जनपद का नाम
महिला बचत समूहों की प्रगति (माह.....2005)

कुल ग्रामों की संख्या	समूह गठन			निक्षेप		
	31.03.2005 को कुल समूह	01.04.2005 से गठन	कुल गठित समूह	31.03.2005 को कुल निक्षेप	01.04.2005 से प्राप्त	कुल प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7

ऋण वितरण					मांग एवं वसूली				
31.03.2005 तक कुल वितरित ऋण	01.04.2005 से वितरित ऋण		कुल वितरित ऋण		31.03.2005 को अवषेश वसूली	माह की मांग	कुल मांग	माह की वसूली	क्रमिक वसूली
	समूह संख्या	धनराषि	समूह संख्या	धनराषि					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0।

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक–सी–04 /अधि0 /सह0सह0यो0 /2005–06 /दिनांक मई 11, 2005।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

2– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरॉचल ।

विशय– लघु एवं सीमांत कृशकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी ऋणों पर ब्याज में राजकीय अनुदान सहकारी सहभागिता योजना का क्रियान्वयन ।

उत्तरॉचल में सहकारिता आंदोलन को गतिषीलता प्रदान करने के उद्देष्य से लघु एवं सीमान्त कृशको तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु '' सहकारी सहभागिता योजना '' प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत षासनादेष संख्या संख्या 233/2005/ ग्प्ट.1 /2005 दिनांक 28.04.2005 के द्वारा प्रदान की गयी है । इस योजना के अर्न्तगत लघु एवं सीमांत कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन/मध्यकालीन दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं आवास निर्माण हेतु लिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दरों का क्रमशः 4 प्रतिशत 5.5 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
'' सहकारी सहभागिता योजना '' की विशिष्टितायें एवं शर्ते निम्नवत् है–

(1) इस योजना के मुख्यतः कृषि, कृषि निवेश, औद्योनिकी,डेरी विकास पशुपालन, वेमौसमी सब्जी मशरूम, चाय, रेशम, मत्स्य पालन, मधुपालन, उत्पादन आदि जैसे कार्यो हेतु विशेष अवसर प्राप्त होगें ।

(2) यह योजना सहकारी समितियॉ/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी ।

(3) उक्त योजना दिनॉक 01 मई 2005 से प्रारम्भ होगी और चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 तक ही लागू होगी ।अर्थात उक्त अवधि के दौरान जिन लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों द्वारा ऋण लिया जायेगा उन्ही को योजना का लाभ दिया जायेगा ।

(4) योजनान्तर्गत केवल लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के कृषक आच्छादित होगें तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा ।

(5) लघु एवं सीमांत कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा ।

(6) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायादार सदस्यों को नही दिया जायेगा ।

(7) यदि पात्र लाभार्थी/कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अर्न्तगत नही कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नही दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी ।

(8) आवास ऋण की अधिकतम सीमा योजनान्तर्गत 1.00 लाख (रू0 एक लाख) रूपये होगी और लाभर्थी को मात्र एक बार ही भवन निर्माण/विस्तार हेतु अनुदान उपलब्ध होगी ।
(9) सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक/शीर्ष सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजना के अनुरूप, वित्तीय आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अनुदान की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरांचल को प्रस्तुत करने के उपरान्त निबन्धक सहकारी समितियॉ की संस्तुति के पश्चात शासन द्वारा राजकीय अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

उक्त योजना के कियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है–

1.लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सींचित भूमि उपलब्ध हों ।
सीमांत कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हों ।

2. बी0पी0एल0 परिवार का तात्पर्य उन कृषक सदस्यों से है जिन्हे विकास खण्ड़ द्वारा चयनित कर प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो ।

3. भारत सरकार द्वारा कृषि ऋणों को दुगना किये जाने की योजना के तहत ऋण वितरण हेतु उक्त योजना लाभकारी होगी । अतः इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर समितियॉ के माध्यम से अधिक से अधिक कृषको को लाभान्वित किया जाये व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जायें ।

4. दिनांक 01.05.2005 से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को वितरित कृषि ऋणों यथा अल्पकालीन फसलों ऋण, भेषज कृषिकरण हेतु वितरित ऋण, सी–15 योजना के अन्तर्गत सहायक कृषि कलापों हेतु वितरित मध्यकालीन ऋण एवं कृषि कार्यो हेतु वितरित दीर्घकालीन ऋण का विवरण सामान्य खातें के भांति पृथक से समिति स्तर पर तथा शाखा स्तर पर रखा जायें ।

5. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की सूचना संलग्न प्रारूप–1 पर प्रतिमाह समिति द्वारा शाखा के माध्यम से बैंक मुख्यालय को तथा सहायता विकास अधिकारी (सह0) के माध्यम से सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ को आगामी माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराई जायेगी ।

6. जिला सहकारी बैंक मुख्यालय द्वारा प्रत्येंक माह की 7 तारीख तक संकलित सूचना निबंधक कार्यालय का उपलब्ध कराई जायेगी ।

7. सहकारी सहभागिता योजना के अर्न्तगत अल्पकालीन/मध्यकालीन कृषि ऋणों पर 50,000रू0 तक 5 प्रतिशत तथा 50,000 रू0 से अधिक के ऋणों पर 5.50 प्रतिशत, दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5.50 प्रतिशत तथा कृषक आवास ऋण पर 5.00 प्रतिशत ब्याज 01.05.2005 व उसके पश्चात वितरित ऋणों पर लिया जायेगा। सामान्य ब्याज दर एवं उक्त ब्याज दरों के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति उत्तरॉचल शासन द्वारा की जायेगी । योजना के तहत निर्धारित ब्याज दर एवं वित्तीय भार की स्थिति निम्न प्रकार है ।

(ब्याज दर प्रतिशत में)

क्र0 सं0	विवरण	01.04.2004 से प्रचालित ब्याज दर	01.05.2005 व इसके बाद वितरित ऋण पर ब्याज दर	राज्य सरकार से वित्तीय भार को वहनता प्रतिशत
1.	अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण 50.000/तक 50.000/से अधिक ऋण पर	9.00 11.00	5.00 5.50	4.00 5.50
2.	दीर्घकालीन ऋण	12.50	5.50	5.50
3.	कृषक आवास ऋण	8.00	5.00	3.00

अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण पर पूर्व में ही ब्याज दरों में कमी कर दी गई थी, जिस पर समिति एवं बैंक स्तर पर 1 से 2 प्रतिशत तक वित्तीय व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा था । दीर्घकालीन ऋण एवं कृषक आवास ऋण पर क्रमषः 1.50 प्रतिशत एवं 1.00 प्रतिशत वित्तीय व्ययभार बैंकों के स्तर से योजना प्रारम्भ होनें की तिथि से वहन किया जायेगा ।

8. जिन बैंकों द्वारा शाखाओं के माध्यम से सीधे कृषि ऋण अथवा सहायक कृषि कलापों हेतु ऋण उक्तानुसार पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है वे भी उक्त निर्धारित दर पर ही ब्याज आंकलित करेंगे व प्रतिपूर्ति हेतु वांछित सूचनायें बैंक मुख्यालय के माध्यम से प्रेषित करेंगें । योजनान्तर्गत वितरित ऋण की प्रगति सूचना भी समयान्तर्गत प्रेषित करेगें ।

9. बी0पी0एल0 परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने में उनके पास भूमि/सम्पति बन्धक कराने हेतु उपलब्ध न होने की दशा में बैंक के स्तर से लाभार्थी के दो ऐसे जामीनान ले लिये जायें जिनके पास बन्धक रखते हेतु भी समयान्तर्गत प्रेषित करेगें ।

10. बड़े प्रोजेक्ट के ऋणों में नियमानुसार सम्पत्ति बन्धक करने की कार्रवाी का दायित्व सम्बन्धित जिला सहाकरी बैंक का होगा ।

11. प्रत्येंक प्रारम्भिक सहकारी समिति अपने क्षे. में कम 5 ऐसे मॉडल प्रोजेक्ट प्रारम्भ करेगी जो उस क्षेत्र की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त हो, और वह भविष्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन बन सके । इन कार्यक्रमों के अर्न्तगत सामान्यतः एक ही प्रकार के प्रोजेक्टर न लिये जायें अपितु दो–तीन प्रकार के प्रोजेक्ट्स को संचालित किया जा सकता है।

12. आवास ऋण एवं अन्य ऋण के लक्ष्य संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है । उक्त लक्ष्यों का आशय यह कदापि नही है कि मात्र निर्धारित लक्ष्यों की ही पूर्ति की जानी है । लक्ष्यों में आवश्यकतानुसार कमी एवं वृद्वि की जा सकती है।

13. प्रारूप–1 में प्रत्येक माह विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋण की सूचना जनपद स्तर से मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

14. योजना का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से कराने का दायित्व जनपद स्तर पर सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के द्वारा किया जायेगा ।

15. उक्ता योजना के अर्न्तगत वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा त्रैमासिक रूप से की जायेगी । यह सुविधा उन्हीं कृषकों को दी जानी है जिनकें द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी समयार्न्तगत कर दी गयी है । इस प्रकार समितियों/बैंक द्वारा सदस्यों के खातें में वर्तमान में प्रचलित सामान्य दर से ब्याज आंकलित कर प्राप्त अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न प्रारूप–2 पर समितियों द्वारा सदस्यवार वितरण तैयार कर शाखा प्रबन्धक एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) से सत्यापित कराकर बैंक मुख्यालय को प्रत्येंक त्रेमस की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित किये जायेगा ।

प्रारूप–2 के कालम 5 व 6 में ब्याज का आंकलना उक्त प्रस्तर–7 दी गयी ब्याज दर के अनुसार किया जायेगा । बैंक मुख्यालय स्तर पर समितवार सूचना संकलन कर संचालित सूचना प्रारूप–3 पर प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 10 तारीख तक जिला सहायक निबन्धक कार्यालय के द्वारा उक्त प्राप्त सूचनायें जनपदवार संकलित कर 15 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिससें कि समयार्न्तगत ब्याज अनुदान से प्राप्त कर समिति/कृषको के खातें में स्थानान्तरित की जा सकें ।

:–अनुश्रवण–:

<u>1–(विकास खण्ड स्तर पर)</u>

विकास खण्ड स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्ष्यता में प्रत्येक माह 5 से 10 तारीख के मध्य किया जायेगा, जिसमे समस्त सम्बन्धित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे तथा इसका संयोजक सहायक विकास अधिकारी (सह0) होगा उसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध करा दी जायेगी ।

2–(जिला स्तर पर)

जनपद स्तर पर उक्त योजना की समीक्षा हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है ।

1.जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी ।	अध्यक्ष
2. सभापति/अध्यक्ष , जिला सहकारी बैंक।	उपाध्यक्ष
3. जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरांचल	सदस्य सचिव
4. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0	संयोजक
5. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
6. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
8. जिला दुग्ध अधिकारी	सदस्य
9. जिला मत्स्य अधिकार/मत्स्य निरीक्षक	सदस्य
10. जिला रेशम अधिकारी/रेशम निरीक्षक	सदस्य
11. जिला विकास अधिकारी/आवास अधिकारी	सदस्य

3–(जिला स्तर पर)

राज्य स्तर पर योजना के समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरॉचल द्वारा किया जायेगा जिसमें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों का भी सहायोग लिया जायेगा ।

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह 10 से 15 तारीख के मध्य की जायेगी एवं योजना के सफल संचालन क्रियान्वयन एव कठिनाईया के बारे में समिति के द्वारा अपने सुझाव मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे । उक्त बैठक संचालित कराने का दायित्व जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक का सयुक्त रूप से होगा ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के तहत अधिकाधिक ऋण वितरण कृषकों को लाभान्वित करें तथा योजनान्तर्गत वितरित ऋण की सूचना वांछित प्रारूपों में निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
निबन्धक
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल

पत्रांक–सी–04 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्राचार्य, सहकारी प्रबन्ध राजपुर रोड़ देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी ।
3– अपर निबन्धक/उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरॉचल ।
4– महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल ।

6– सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल ।

प्रारूप–1

सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण की मासिक सूचना ।

जिला सहकारी बैंक लि0.....माह.....(रू0 लाखों में)

क0सं0	ऋण का प्रकार	माह में वितरित		01.05.05 से क्रमिक वितरित	
		सदस्य संख्या	धनराशि	सदस्य संख्या	सदस्य
1	फसली ऋण योजना अल्पकालीन मध्यकालीन				
2	भेषज योजना अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन				
3	औद्योनिक ऋण योजना अल्पकालीन साक भाजी ऋण अल्पकालीन बागवानी ऋण अल्पकानीन मौन पालन ऋण अल्पकालीन पुष्प उत्पादन ऋण अल्पकालीन मशरूम ऋण अन्य औद्योगिक ऋण मध्यकालीन चाय उत्पादन ऋण मध्यकालीन पुष्प उत्पादन उत्पादन दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण				
4	दुग्ध विकास योजना मध्यकालीन दुधारू पशु ऋण				
5	रेशम उत्पादन योजना अल्पकालीन रेशम कीट पालन मध्यकालीन तागा उत्पादन ऋण दीर्घकालीन ऋण				
6	पशुपालन योजना अल्पकालीन रेशम कीट पालन मध्यकालीन भेड़ पालन ऋण मध्यकालीन कुक्कुट पालन दीर्घकालीन ऋण				
7	दीर्घकालीन कृषि ऋण				
8	आवास ऋण योजना				
9	अन्य समस्त कृषिगत ऋण				
	योग ऋण				

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

सचिव / महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

नोट–राज्य सहकारी बैंक भी प्रारूप–1एवं 2 के अनुसार सूचना निबन्धक को उपलब्ध करायेगे ।

सहकारी सहभागिता योजना के लक्ष्य

क्र0सं0	नाम जनपद	कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण		आवास ऋण योजना		योजना के अन्तर्गत बनाये गये नये सदस्यों की संख्या
		लाभार्थी संख्या	धनराशि(लाख रू0में)	लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख रू0में)	
1	चमोली	1000	200.00	400	300.00	500
2	रूद्रप्रयाग	700	150.00	250	187.50	350
3	पौड़ी	1500	300.00	400	300.00	750
4	देहरादून	1500	300.00	400	300.00	750
5	टिहरी	1200	250.00	400	300.00	600
6	उत्तरकाशी	1000	200.00	300	225.00	500
7	हरिद्वार	2000	400.00	400	300.00	1000
8	अल्मोड़ा	1200	250.00	350	262.50	600
9	बागेश्वर	700	150.00	200	150.00	350
10	पिथौरागढ़	1200	250.00	350	262.50	600
11	चम्पावत	700	150.00	250	187.50	350
12	नैनीताल	1000	200.00	400	300.00	500
13	उधमसिंहनगर	2000	400.00	400	300.00	1000
योग		15700	3200.00	4500	3375.00	7850

प्रारूप–2

सहकारी सहभागिता योजना के अर्न्तगत वितरित ऋण पर आंकलित ब्याज की प्रतिपूर्ति बाबत सूचना नाम समिति.....

क्र0 सं0	नाम सदस्य	खाता संख्या	01.05.05 से दिया गया कृषि ऋण	आंकलित ब्याज		ऋण वसूली 01.05.05से		ब्याज की प्रतिपूर्ति की मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना समिति अभिलेखों के अनुसार सही है व ब्याज का आंकलन नियमानुसार किया गया है ।

सचिव / प्रबन्धक निदेशक
समिति

उक्त विवरण की जॉच की गई एवं सत्यापित
ब्रांच मैनेजर स.वि.अधि.

नोट–राज्य सहकारी बैंक भी प्रारूप–1एवं 2 के अनुसार सूचना निबन्धक को उपलब्ध करोयेगें ।

प्रारूप–3

सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण पर आंकलित ब्याज की प्रतिपूर्ति बाबत सूचना नू जनपद.....

क्र0सं0	**नाम समिति**	**सदस्यों की संख्या**	**01.05.05 से दिया गया कृषि ऋण**	**अनुदानित ब्याज की मांग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

सचिव / महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला सहायक निबन्धक,

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
पत्रांक–सी–47 /अधि0 /2003–05 दिनांक 3 दिसम्बर, 2003 ।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल,
2– सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरॉचल ।

विषय–सहकारी कृषि ऋण समितियॉ में मिनी बैंक की स्थापना ।

उक्त विषयक पूर्व निर्गत समस्त परिपत्रों को आशिक रूप से संशोधित करते हुए सहकारी कृषि ऋण समितियॉ में मिनी बैंक खोलने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे है :–

1. जनपद में मिनी बैंक के सम्बन्ध बैंक के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या सी–15 दिनांक 31.05.2003 के अनुसार गठित कमेटी द्वारा समिति का चयन किया जायेगा । समिति की ऋण वसूली एवं ऋण व्यवसाय का कोई भी प्रभाव मिनी बैंक के चयन पर नहीं होगा ।
2. समिति का निजी भवन होना आवश्यक है । विशेष परिस्थितियों में प्रस्तर–1 में उल्लिखित कमेटी उक्त में छूट दे सकती है ।
3. समिति में नियमिति/पूर्णकालिक कैडर सचिव कार्यरत होना आवश्यक है ।
4. नया मिनी बैंक सामान्यतः उस स्थान पर नहीं खोला जाय जहॉ पर जिला सहकारी बैंक को शाखा कार्यरत है ।
5. नये मिनी बैंक खोलते समय समिति में कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्मचारी को नियुक्ति न की जाय ।
6. मिनी बैक में 3.00 लाख रू0 से अधिक जमा होने पर 500.00 रू0 मासिक मानदेय/संविदा पर जिला कमेटी की अनुमति के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है । यदि जमा धनराशि निरन्तर 1 माह से अधिक तक 3.00 लाख रू0 से कम हो जाती है तो मानदेय पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी ।
7. प्रत्येक 1.00 लाख रू0 अमानत/जमा वृद्वि पर मानदेय पर नियुक्त कर्मचारी को 10.00 रू0 का मानदेय बढ़ाया जा सकता है, जो कि प्रत्येक 1.00 लाख रू0 अमानता/जमा में कमी होनें पर वापस ले लिया जायेगा ।
8. मिनी बैंक में 25.00 लाख रू0 की अमानत/जमा हो जाने पर नियुक्ति कर्मचारी की नियुक्ति सी–15 दिनांक 31.05.2003 के अनुसार गठित राज्य स्तर कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त ही की जायेगी ।
9. सी–15 दिनांक 31.05.2003 द्वारा गठित कमेटी द्वारा नवसृजित मिनी, बैंकों का निरन्तर अनूश्रवण किया जायेगा एवं यह सनुश्चित किया जायेगा कि जिन स्थानों पर नव स्थापित मिनी बैंक सफलातापूर्वक संचालित नही हो रहे है उन्हें समाप्त कर दिया जाय ।
10. नवसृजित मिनी बैंक की स्थापना हेतु साज–सज्जा आदि की व्यवस्था हेतु जिला योजना में प्राविधानित किया जायेगा एवं नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ो के अनुरूप भी सहायता प्राप्त की जाय ।
11. सचिव, जिला सहकारी बैंक नवसृजित मिनी बैंक को प्रारम्भ करने से पूर्व समिति सचिव एवं अन्य कर्मचारियों यदि कोई हो की मिनी बैक संचालन से संम्बन्धित पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगें ।
12. मिनी बैंक संचालित करने के लिए सम्बन्धित सजिला सहकारी बैंक आवश्यक स्टेशनरी समिति को उपलब्ध करायेंगें ।
13. मिनी बैक प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक/काअन्टर, सेफ आलमारी आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति/मिनी बैंक को 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण पर उपलब्ध करायी जायेगी।

14. जमाकर्ताओं की जमाओं की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित जिले के जिला सहकारी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना के अर्न्तगत वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के उत्तरदायी होगे ।

15. मिनी बैंक में जमा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित जिले के जिला सहकारी बैंक में अधिकतम ब्याज दर पर मियादी जमा के रूप में 3 प्रतिशत अथवा 0.10 लाख रू0 जो भी कम हो तहबील (रोकड़ शेष) के रूप में किन्तु 25.00 लाख रू0 से अधिक की जमा वाले मिनी बैंकों में उक्त अधिकतम सीमा 0.25 लाख रू0 तक समिति की आवश्यकता के अनुसार हो सकती है, एवं अवशेष धनराशि सम्बन्धित जिले के बैंक विशेष निक्षेप खाते के अर्न्तगत जमा की जायेगी । विशेष निक्षेप खते मे लिा सहकारी बैंक द्वारा समय–समय पर प्रचलित उच्चतम ब्याज दर देय होगी । विशेष निक्षेप खाते से आहरण समिति द्वारा नियमिति रूप से मात्र मिनी बैंक के खातेदारों के भुगतान हेतु किया जायेगा । समिति के द्वारा पूर्व की भांति विशेष निक्षेप खाते के विरूद्व ऋण सीमा जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

16. मिनी बैंक का बीमा (कैश इन सेफ, कैश इन ट्राजिट एवं फैडेलिटि गारन्टी आदि) नियमानुसार सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा ।

17. समिति द्वारा मिनी बैंक में जमा धनराशि का उपयोग राज्य स्तर की कमेटी के अनुमोदन के बिना किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

18. जमाकर्ताओं को मिनी बैंक में अधिकतम बचत खातों में जमा हेतु प्रोत्साहन किया जाय ।

19. मिनी बैंक के जर्माकर्ताओं हेतु चैकबुक की व्यवस्था सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । जमाकर्ता उक्त प्रकार निर्गत चैकबुक से मात्र सम्बन्धित मिनी बैंक से ही धन आहरित, कर सकेगे । प्रथम चरण में मिनी बैंक में चैकबुक व्यवस्था सभी समितियों में प्रारम्भ न कर चयनित समितियों में ही प्रारम्भ की जाय । चैकबुक हेतु निर्धारित शुल्क सम्बन्धित जमाकर्ता द्वारा देय होगा ।

20. मिनी बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा मिनी बैंक में अपने खाते में जमा कराने हेतु अन्य बैको के चैक यदि प्रस्तुत किये जाते है तो उनका कलेक्शन जिला सहकारी बैंक के माध्यम से कराया जायेगा एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति को चैक की धनराशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरांत ही संबंधित जमाकर्ता के खाते में अंकित की जायेगी जिसके लिये मिनी बैंक के द्वारा नियमानुसार चैक के पृष्ठ भाग में पृष्ठांकन किया जायेगा ।

उक्त के अतिरिक्त अन्य निर्देश पूर्व में मिनी बैंकों के संचालन के संबंध में जो समय–समय पर निर्गत किये गये थे, यथास्थिति प्रचलित रहेंगे ।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल ।

पत्रांक–सी–47 /दिनांक उक्त ।

प्रतिलितिप–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1.प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी
2. प्रमुख सचिव, उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।
3. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।

निबन्धक,

सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल,
अल्मोड़ा ।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल ।
पत्र संख्या 223 /अधि/महिल समू0 /2003–04 दिनॉक 03 दिसम्बर 2003 ।

1– सचिव/महाप्रबन्धक
समस्त जिला सहकारी बैंक लि0
उत्तरॉचल ।

2– समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

3– समस्त सचिव
प्रा0कृ0 ऋण सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

विषय :– महिला समूहों का गठन एवं वित्तपोषण।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 156/समूह/2003–04 दिनांक 19 जुलाई 2003 एवं परिपत्र संख्या सी 174/2003–04 दिनांक 14 अगस्त 2003 का संदर्भ लें । अभी तक महिला समुहों के गठन की समीक्षा की गई, नवम्बर 2003 तक 4000 महिला समूह सहकारिता के अर्न्तगत गठित हो चुके है जिनकी 28 लाख रू0 बचत पैक्स/बैंक शाखाओं में जमा हो चुकी है ।

माननीय सहकारिता मंत्री जी ने दिसम्बर 2003 तक उत्तरॉचल के समस्त गॉवों में महिला समूह गठित करने के निर्देश दिये थे वर्तमान प्रगति से स्पष्ट होता है कि दिसम्बर 2003 तक समस्त गॉवों में महिला समूह गठित होना सम्भव नही है । इस सम्बन्ध में आपकी निर्देशत किया जाता है । कि 31 मार्च 2004 तक उत्तरॉचल के समस्त 16662 गॉवों में सहकारिता के महिला समूहों को गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे । सभी अधिकारियों के वार्षिक मूल्यॉकन के समय महिला समूह की प्रगति का आंकलन किया जायेगा ।

1– महिला समूहों को वित्तपोषण–

महिला समूह गठन के 2 माह पश्चात आवश्यकता के अनुरूप वित्तपोषण प्रारम्भ किया जाये । पैक्स से वित्तपोषण प्रारम्भ करने से पूर्व महिला समूहको समिति का सदस्य बनाया जायेगा तथा समूह के समस्त सदस्यों को नाममत्रिक सदस्य बनाया जायेंगा । समूह से वित्तपोषण करते समय 1:20 के अनुसार में अंशपूंजी प्राप्त की जायेगी, यह राशि समूह से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह की बचत राशि से ली जा सकेगी ।समूह का जमा ऋण अनुपात 1.3 होगा । समूह अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रार्थना पत्र पैक्स/मिनी बैंक को देगा समिति समूह की जमा बचतें 3 गुना तक कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत करेगा । यह कैश क्रेडिट ऋणसीमा जमा (बचत) बढ़ने पर आवश्यकतानुसार समूह की मॉग पर बचत की 3 गुना (अनुपात के आधार पर) अधिकतम एक लाख रू0 तक बढ़ाई जा सकेगी, इससे अधिक ऋण सीमा की आवश्यकता होने पर परिपत्रांक सी–15 में गठित ही दिया जायेगा तथा महिला योजना में प्राविधानित केन्द्रीष फण्ड इत्यादि का सृजन योजना के अनुसार ही होगा ।

2–ब्याज दर–

पैक्स समूह से वित्तपोषण राशि पर निम्न प्रकार से ब्याज लगायेगी –

1– समूह की जमा बचत राशि पर पैक्स बचत खाते की दर से समूह को ब्याज देगी, जब समूह ऋण लेगा तो समूह की जमा बचत राशि पर जो ब्याज पैक्स दे रही है उससे 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेगी इसकी तो समूह की जमा बचत राशि पर जो ब्याज पैक्स दे रही है उससे 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेगी इसकी गणना त्रैमासिक होगी । समूह की जमा राशि के अतिरिक्त ऋण राशि पर पैक्स समूह से 11 प्रतिशत ब्याज लेगी । जिला सहकारी बैंक इस योजना के अर्न्तगत एक समिति को समूहों की जमा बचत के चार गुना तक पुर्नवित्त पैक्स

को उपलब्ध करायेगी । इस योजना के अर्न्तगत एक समिति की ऋण सीमा सी–15 के अन्तर्गत गठित जिला कमेंटी द्वारा स्वीकृति की जायेगी । जिला सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अर्न्तगत पैक्स को वितरित ऋण का 90 प्रतिशत पुर्नवित्त 8 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा ।

3– वसूलीः–

समूह को दिये गये ऋण की सामयिक वसूली करना पैक्स सचिव का दायित्व होगा । समूह समय से वसूली पैक्स में जमा करे इसके लिये समूह का सामूहिकक दायित्व होगा । समूह के 2 से अधिक सदस्यों के बकायादार होने पर पैक्स द्वारा समूह का वित्तपोषण बन्द कर दिया जोयगा ।

4– ऋणी से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेना–

चूँकि पैक्स समूह को वित्तपोषण कर रहा है इसलिये समूह के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर नो डयूज प्रमाण पत्र लेना व्यवहारिक नही होगी । यदि किसी महिला/सदस्य के परिवार को कोई अन्य सदस्य पैक्स या क्रेओपरेटिव बैंक का बकायादार हो तो महिला समूह के वित्तपोषण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा लेकिन समूह बकायदार नहीं होना चाहिये।

5– ऋण राशि का बीमा–

समूह की सहमति से पैक्स राशि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो दस हजार रू0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ण का कराया जायेगा । बीमा प्रीमयम राशि समूह/ऋणी सदस्य द्वारा वहन की जायेगी ।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तरॉचल ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक, शीर्ष सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल ।
2– उपनिबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून ।
4– अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल ।
6– महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ।
7– सचिव, महिला व समाज कल्याण, उत्तरॉचल ।
8– प्रमुख सचिव, सहकाररिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।
9– निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री जी, उत्तरॉचल सरकार देहरादून को मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।

निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
पत्रांक–सी–41 /अधि0/2003–04 /दिनांक दिसम्बर 17.2003।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
2– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरांचल।

विषय – परिपत्रांक सी–15 /अधि0/स्वाश्रयी/2003 दिनांक 31.05.2003 के क्रम में निर्गत पत्रांक 147/अधि0/2003 दिनांक 08.07.2003 मे आंशिक संशोधित ।

उक्त संन्दर्भ पत्रों में आंशिक संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1– समिति स्तर पर उक्त परपत्र के अर्न्तगत दिये जाने वाले ऋणों में अंशधन का अनुपालन 1:20 का होगा।

2– परिपत्र के प्रस्तर–7 के अर्न्तगत उल्लिखित तीर्थाटन, पर्यटन स्थलों के लिए समिति के साथ–साथ सदस्य को भी प्रतिभूति/जमानत लेकर ऋण जिला कमेटी की स्वीकृति प्राप्त कर दिया जायेगा । यह ऋण बैंक शाखा द्वारा दिया जायेगा ।

3– पेंशनधारियों को ऋण वितरण करने में यदि अन्य राष्ट्रीय बैंको से आश्वासन पत्र प्राप्त नही हो रहे है, की दशा में शपथ–पत्र एवं 2 व्यक्तिगत जमानती लेकर ऋण दिया जा सकता है । पेशनधारियों से वसूली के अग्रित चैक भी प्राप्त किये जा सकते है । ऋण की स्वीकृति बैंक स्तर पर ही की जायेगी ।

जिला कमेटी इस योजना के अर्न्तगत वितरित ऋणों की शत प्रतिशत वसूली भी सुनिश्चित करेगी । योजना के अर्न्तगत वितरित ऋण की मासिक डिमाण्ड लगाई जायेगी । जिला कमेटी प्रत्येक माह समीक्षा रिपोर्ट परिपत्र के प्रत्येक बिन्दुवार राज्य कमेटी को भेजना सुनिश्चित करेगी ।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

पत्रांक सी–41 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1.क्षेत्रीय प्रबन्धक, शर्मा सहकारी बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी ।
2. उप निबन्ध सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल ।
4. महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादन ।
5. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।
6. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जाी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

अपर, निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल
अल्मोडा।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल ।
पत्रांक–147 /अधि0 /2003–04 दिनांक 08 जून 2003 ।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
2– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
3– समस्त सचिव प्रा0 कृ0 ऋण
सहकारी समितियॉ, उत्तरांचल।

विषय–परिपत्र संख्या सी–15/अधि0/पैक्स/स्वश्रयी/2003–04 दिनांक 31.05.2003 में आंशिक संशोधित।

1– इस कार्यालय के उपरोक्त परिपत्र का संदर्भ लें, परिपत्र के बिन्दु 1,2,4,5,6,7,व 8 में ऋण वितरण समिति के नये सदस्यों तथा गैर बकायादार अऋणी सदस्यों को ही किया जायेगा।

2–प्रस्तर 4 में स्वयं सहायता समूह के अर्न्तगत वर्ष/अवधि सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त किया जाता है तथा स्वयं सहायता समूह की सन्तोषजनक कार्यप्रणाली पर निक्षेप और ऋण का अनुपात 1:3 रहेगा। पैक्स समूह को अपना सदस्य बनायेगी। जो पैक्स मिनी बैंक का कार्य नही कर रही है वहा पर भी समिति में समूह का निक्षेप खाता खोला जायेगा। समिति उसको अमानत राशि को बैंक शाखा में अलग खातों में जमा करेगी।

3– ऋण की सुरक्षा हेतु एवं बैंक शाखा दो अन्य सदस्यों की गारन्टी जिनकी जमीन, मकान अथवा कोई अन्य अचल सम्पत्ति समिति के कार्य क्षेत्र में स्थिति हो, लेना सुनिश्चित करेगी । आवश्यकता के अनुरूप उक्त ऋणियों का खाता जिला सहकारी बैंक की शाखा में खुलवाकर चैक बुक प्राप्त कर वसूली हेतु ऋणी से अग्रिम चैक भी प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त ऋण से सम्बन्धित अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं विविध ऋण इत्यादि के ऋण आवेदन पत्र के प्रारूप प्रोनोट, गारन्टी डीड, इत्यादि प्रपत्र सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक द्वारा मूल्य प्राप्त कर समितियॉ को उपलब्ध कराये जोयेगें । उपरोक्तानुसार ऋण वितरण का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तथा जिला स्तर पर इसकी पाक्षिक समीक्षा करते हुए प्रगति से प्रत्येक माह अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल को अवगत कराया जाये ।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित–

1. समस्त सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), उत्तरॉचल ।
2. समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी सहकारी समितियॉ, उत्तरांचल ।
3. समस्त सभापति/प्रशासक, पैक्स, उत्तरॉचल ।
4. समस्त शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल ।
5. समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक उत्तरॉचल ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी ।
7. उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरांचल ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 ।
9. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून ।
10. सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
11. निदेशक, कोषागार/आडिट, सहकारी समितियॉ उत्तरांचल, देहरादून ।

(जी0सी0मैकोटा)
अपर निबन्धक,

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल ।
पत्रांक–सी–15 /अधि0/पैक्स/स्वाश्रयी/2003–04 /दिनांक 31मई 2003 ।

1– समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल,
बागेश्वर।

2– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।

3– समस्त सचिव,
पैक्स/लैम्पस,उत्तरॉचल।

विषय–पैक्स व अन्य सहकारी समितियॉ को स्वाश्रयी बनाने हेतु समयबद्व कार्यक्रम, तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु।

प्रदेश स्तर पर पैक्स व अन्य सहकारी समितियॉ की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रदेश की अधिकतम समितियॉ पूर्णतया स्वाश्रयी नही है ।तथा समितियॉ अपने सचिव का वेतन भार भी वहन करने की स्थिति में नही है अतः प्रदेश की सहकारी समितियॉ को पूर्ण रूप से स्वाश्री बनाने हेतु 01.06.2003 से निम्न कार्यक्रम समयबद्व रूप से प्रदेश की सहकारी समितियां के हित में लागू किये जाते है।

1– कृषि ऋणों में वृद्वि–

समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया है कि पैक्स द्वारा फसली ऋण वितरण प्रचुर मात्रा में नही किया जा रहा है, इसमें तत्काल वृद्वि लाये जाने हेतु निम्न कार्यक्रम लागू किये जाते है–

समिति के कार्यक्रम में निवास करने वाले समस्त कृषक एवं अकृषक परिवारों के सदस्यों को समिति का सदस्य बनाया जाय तथा जो सदस्य निष्क्रिय है उसको सक्रिया किया जाये तथा समस्त कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायें । उक्त कार्यक्रम की 75 प्रतिशत पूर्ति स्तरीय कमेटी समितिवार कृषि ऋणों के लक्ष्य निर्धारित करेगी।

2– मध्यकालीन सामान्य ऋण वितरण–

वर्तमान में समितियों द्वारा मध्यकालीन सामान्य ऋण वितरण नही किया जा रहा है, गत वर्ष के कटु अनुभवों के कारण इसको प्रतिबन्धित किया गया था लेकिन वर्तमान में समितियां को स्वाश्रयी बनाने की दृष्टि से इसको प्रारम्भ किया जाये । समिति अपने कार्यक्षेत्र में स्थित सदस्यों को आवष्यकता के अनुरूप अधिकतम 20000–00 रू0 अथवा वास्तविक लागत मूल्य में से जो भी कम हो, गाय, भैस बैलगाड़ी बुग्गी, घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी इत्यादि के लिए सदस्य को मध्यकालीन सामान्य ऋण उपलब्ध करा सकेगा। इसकी वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समिति सचिव का होगा योजना के अर्न्तगत प्रति समिति अधिकतम ऋण सीमा दो लाख रू0 होगी, इससे अधिक आवष्यकता होने पर समिति अपना प्रस्ताव बैंक को प्रेषित करेगी। जिला स्तर पर गठित कमेटी समिति के पूर्व में वितरण मध्यकालीन ऋणों की समीक्षा कर सन्तोषजनक प्रगति होने पर समिति की अधिकतम सीमा 2–00 लाख में वृद्वि करने के लिए अधिकृत होगी लेकिन यह वृद्वि किसी भी दशा में 4–00 लाक्ष यह प्रति समिति से अधिक नही होगी। इससे अधिक ऋण की आवश्यकता होन पर समिति का प्रस्ताव जिला कमेटी की सॅस्तुति के साथ राज्य कमेटी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आवश्यकता के अनुरूप ऋण सीमा करने के लिए समक्ष होगी, बैंक तदनुसार इस हेतु समिति की ऋण सीमा स्वीकृत करेंगे।

3– मिनी बैंक निक्षेप संचय योजनाः–

वर्तमान में उत्तरॉचल मे 756 पैक्स में से 195 पैक्स मिनी बैंक का कार्य कर रही है जिनमें लगभग 50 करोड़ रूपये निक्षेप एकत्रित हुए है। पैक्स को स्वाश्री बनाने हेतु मिनी बैंक निक्षेप एकत्रित कराना सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसको प्रभावी ढ़ग से लागू करने की दृष्टि से निम्न निर्देश दिये जाते है–

क– पूर्व प्रसारित निर्देशों को संशोधित करते हुए मिनी बैंक खोलत हेतु निर्धारित मानको को शिथिल करते हुए मिनी बैक चयन हेतु जिला कमेटी को अधिकृत किया जाता है। मिनी बैंक समिति अपने कार्यक्षेत्र में एक या अधिक स्थानों पर मिनी बैंक काउन्टर जिला कमेटी की पूर्व अनुमति से खोलत के लिए भी अधिकृत होगी।

ख– पूर्व से कार्यरत मिनी बैंक समिति कम से कम न्यूनतम 5 लाख रू0 के निक्षेप स्तर का प्राप्त करेगी तथा जिल मिनी बैंको के निक्षप 5 लाख से अधिक है वह 31.03.2003 के एकत्रित निक्षेप का 20 प्रतिशत निक्षेप वृद्वि 31.03.2004 तक पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

ग– प्रत्येक बैंक अपने कार्यक्षेत्र में प्रति बैंक 5 नये मिनी बैंक खोलेगें जिन बैंको का कार्यक्षेत्र 2 जनपद है यहॉ प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 2 नये मिनी बैंक 31.03.2004 से पूर्व खोले जोयेंग तथा इनका इस वर्ष का न्यूनतम निक्षेप लक्ष्य 3–00 लाख रू0 प्रति मिनी बैंक निर्धारित किया जाता है। आगामी वर्षो में भी नये मिनी बैंक खोलत व निक्षेप संचय के लक्ष्य उक्तानुसार ही निर्धारित रहेंगे, उक्त लक्ष्यों को पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

4– स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण वितरण–

उत्तरॉचल में 14000 से अधिक स्वयं सहायतर समूह का गठन हो चुका है उक्त समूह निक्षेप संचय व ऋण विस्तार का एक बहुत उपयुक्त साधन बन सकते है इसलिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह पैक्स से सम्बद्व कर निक्षेप संचय व ऋण वितरण का कार्य किया जायें, इस हेतु 31.03.2004 तक एक समिति से न्यूनत 5 समूह सम्बद्व करते हुए 1.00 लाख रू0 निक्षेप तथा 1.00 लाख रू0 ण वितरण का लक्ष्य प्रथम वर्ष का निर्धारित किया जाता है। आगामी द्वितीस, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में निक्षेप–ऋण का अनुपात क्रमशः 1 : 2 : 3 वे 1:4 होगा। सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक इस हेतु समिति को अलग से ऋण सीमा स्वीकृत करेगे। मुख्य रूप में महिलाओं के समूह गठित करने को विशेष प्राथमिकता दी जाए।

5– पैक्स द्वारा विविध प्रयोजना हेतु ऋण वितरण –

पैक्स का स्वाश्रयी करने के उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों के साथ–साथ एक कार्यक्रम विविध प्रयोजना हेतु ऋण वितरण करना भी सम्मिलित किया जाता है, पैक्स सचिव, पूर्णरूप से आश्वस्त हो जाने पर अपने कार्यक्षेत्र में निम्न योजनाओं में समिति सदस्यों को ऋण वितरण करने हेतु अधिकृत होगें। उक्त ऋण की वसूली का उत्तरादायित्व भी समिति सचिव का होगा।

क्र0सं0	प्रयोजन	निर्धारित ऋण राशि	ऋण की अवधि	ब्याज दर
1	समिति का सदस्य स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की चिकित्सा हेतु ऋण	5000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
2	आश्रित पुत्र/पुत्र की शिक्षा हेतु	5000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
3	पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु	15000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
4	टिकाऊ घेरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रिज फर्नीचर आदि	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
5	कुटीर उद्योग, दुकान व अन्य व्यवसाय हेतु	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
6	औषधि/क्लीनिक की स्थापना हेतु	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
7	पक्का भवन/निर्मित भवन का विस्तार/मरम्मत	15000.00	पॉच वर्ष	11 प्रतिशत

क्रमांक 1 से 7 तक विर्णत प्रयोजना हेतु अधिक से अधिक एक साथ एक सदस्य को 3 प्रयोजनों हेतु ऋण दिया जा सकेगा । जिसकी अधिकतम सीमा 25000.00 रू0 से अधिक नही होगी । उक्त ऋण की सुरक्षा हेतु ऋणी अथवा जमानती की ली जाने वाली ऋण राशि मूल्य तक अचल सम्मपत्ति गारन्टी भी लेनी होगी। प्रथमतः एक समिति विविध प्रयोजनो में 2.00 लाख रू0 तक ऋण वितरण करेगी, अधिक आवश्यकता होने पर जिला कमेटी समिति की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होने पर विकास खण्ड समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त ऋण सीमा 5.00 लाख रू.0 तक वृद्वि करने हेतु अधिकृत होगी। इस हेतु बैंक द्वारा अलग से समिति की ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

6–भेषज व जड़ी–बूटी उत्पादन, सम्बर्द्धन प्रोसेसिंग व विपणन का कार्य–

पैक्स के सदस्यों के माध्यम से किया जाये तथा इस हेतु यदि पैक्स के सदस्यों को ऋणसीमा की आवश्यकता है तो वह समिति द्वारा सदस्यों की तथा बैंक द्वारा समिति की सीमा स्वीकृत की जायेगी। विपणन का कार्य केन्द्रीय/शीर्ष समिति के माध्यम से किया जायेगा।

7– तीर्थाटन व पर्यटन स्थलों के निकट कार्यरत समितियॉ द्वारा टूरिस्ट लॉज, ढॉबा, (रैन बसेरा) चलाने की योजना लागू करनाः–

जो समिति इस स्थलो के निकट सड़क पर स्थित है वह इस योजना को लागू करने के सम्बद्व में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायेगी तथा समिति के प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति के माध्यम से स्वीकृत हेतु जिला कमेटी को प्रस्तुत करेगी । जिला कमेटी प्रोजैक्ट की आथिकता ऑकडे हुए इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी ढाबे हेतु 1.00 लाख रू0 टूरिज्ञट लॉज हेतु 4.00 लाख रू0 तथा अन्य साज सज्जा हेतु 1.00 लाख रू0 कुल 6.00 लाख रू0 तक की अधिकतम ऋण सीमा सम्बन्धित समिति की जिला कमेटी की संस्तति पर सम्बन्धित जिले के बेंक द्वारा स्वीकृत की जोयगी । जसकी अवधि पॉच वर्ष होगी।

8– पैनशधारियों को सुविधा–

पैनशधारियों को जो समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हो 12 माह की पेंशन राशि के बराबर अधिकतम 40000.00 में से जो भी कम हो, जिस बैंक से पेंशन मिलती है उसमें लियन दर्ज कराकर बैंक से लिखित अन्डरटेकिंग लेकर तथा विधिवत जमानत लेकर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा । जिसकी ऋण अवधि 5 वर्ष होगी और ब्याज दर 11 प्रतिशत होगी।

क्रमांक 2,4,5,6, व 7,8 के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से 9 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो समितियॉ मिनी बैंक का कार्य कर रही है तथा इनका निक्षेप बैंक में विशेष खातें में जमा है, जमाराशि तक यदि समिति बैंक से ऋण लेती है तो उस पर बैंक विशेष निक्षेप पर देय ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत अधिक सम्मिलित कर ब्याज चार्ज करेगी ताकि मिनी बैंक निक्षेप संचय का लाभसमिति को भी मिल सके। उक्त ब्याज दर मिनी बैंक समितियों में अन्य उद्देश्यों हेतु जैसे कृषि ऋण, उर्वरक व्यवसाय इत्यादि के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर भी लागू होगी । इस कार्यायय के परिपत्रांक सी–774/2002–2003 /ब्याज दर दिनांक 04.02.2003 के प्रस्तर 2 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाये। समिति क्रमांक 2,3,5 व 6 के अर्न्तगत ऋण लाभार्थी से निक्षेप की ब्याज दर से ब्याज देगी ।उक्त योजना के सफल कियान्वयन हेतु निम्न 3 समितियों का गठन किया जाता है।

1– विकासखण्ड/शाखा स्तर कमेटीः–

1– सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी/शाखा प्रबन्धक, डीसीबी–(अध्यक्ष)
2– सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, डीसीबी–सदस्य
3– सम्बन्धित पैक्स के अध्यक्ष/प्रशासक अथवा इनके द्वारा नामित–सदस्य
4– सम्बन्धित पैक्स के सचिव–संयोजक

उक्त योजना के समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समीक्षा कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है जिसकी प्रत्येक त्रेमास में अनिवार्य रूप से एक बैठक होगी जिसमे प्रगति की जनपदवार समीक्षा की जायेगी।

1–अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचत–	अध्यक्ष
2– प्रबन्ध निदेशक उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0–	सदस्य
3–उप निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल–	सदस्य/सचिव।

उत्तॉचल की पैक्स को स्वाश्रयी करने के सम्बन्ध में उक्त बिन्दु 1 से 7 तक में दिये गये प्राविधानों को कडाई से लागू करने हेतु निबन्धक, सहकारी, समितियॉ उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित परपत्रों कों उत्तरॉचल के परिप्रेक्ष्य में यथासॅशोधित समझा जायेगा । बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस निमित्त किसी भी प्रकार की समिति की ऋण सीमा आवश्यकता के अनुसार 15 दिन के अन्दर स्वीकृत की जोयगी । कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु इसकी प्रगति एवं विकास खण्ड स्तरीय बैंठकों में भाग लेने को उत्तरदायित्व तहसीलदार बैंक के विरिष्ठ प्रबन्धकों एवं अपर जिला सहकारी अधिकारियों को दिया जायेगा तथा इनके वार्षिक कार्यो के मूल्लॉकन में इसका उल्लेख किया जायेगा । बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक व जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यो का मूल्लॉकन भी इसी के आधार पर किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत बांटे गये ऋणों की वसूली का समस्त उत्तरदायित्व समिति के सचिव का होगा । इस योजनान्तर्गत अस्वाश्रयी समितियों में नियुक्त सचिवों का स्थानान्तरण दो वर्ष तक नही किया जायेगा जसमें कि ये बिना व्यवधान के 2 वर्ष के अन्दर समिति को स्वाश्रयी बना सकें । उक्त परिपत्र में उल्लिखित समस्त योजनाओ में ऋण विरण करने से पूर्व समिति अपने सभी औपचारिकताएं जैसे सावधि प्रोनोट, इत्यादि परिपत्र भराना सुनिश्चित करेगी।

उक्त परिपत्र का सभी स्तरों पर परिपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी समतर पर उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन में कोई अड़चन/भ्रान्ति आती है तो उससे तत्काल राज्य स्तरीय कमेटी को अवगत कराया जाये ताकि तदनुसार उसपर मार्गदर्शन प्रेषित किया जा सकें । उक्त योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह बैंक के सचिव/मह्मप्रबन्ध व जिला सहायक निबन्धक अपर निबन्धक, सहकारी समतियॉ, उत्तरॉचल को प्रेषित करेगें।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, उत्तरॉचल ।
2– समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारी समितियॉ उत्तॉचल ।
3– समस्त सभापति/प्रशासक , प्रा0 कृषि ऋण सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल ।
4– समस्त शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल ।
5– समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल ।
6– समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
6– समस्तर अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
7– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0को0 बैंक लि0 देहरादून/ हल्द्वानी ।
8–उप निबन्धक, सहकारी समितियू उत्तरांचल ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0
10– महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून ।
11– सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।
12– निदेशक, कोषागार/आडिट, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल देहरादून ।

(जी0सी0मैकाटा)
अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल ।

संख्या– 270 / गपअ. 1 / 2005

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

1– सचिव, वन विभाग / लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग /
पेयजल विभाग / लघु सिंचाई / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा /
कृषि विभाग / पशुपालन विभाग / श्रम विभाग, उत्तरॉचल शासन,
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सहकारिता, अनुभागः–1 देहरादूनः दिनॉक 20 मई, 2005।

विषयः– राज्य में निबन्धित श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारी समितियॉ को बिना टेन्डर के निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य आवंटन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासक के पत्र संख्या–22 / गपअ–2005, दिनॉक 17 जुलाई 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है । कि उक्त शासनादेश द्वारा कतिपय शर्तो के तहत सहकारिता विभाग के अर्न्तगत पंजीकृत श्रम सहकारी समितियों को बिना निदिंदा या कोटेशन मांगे प्राथमिकता के आधार पर रू0 1.00 लाख तक के निर्माण काय्र आवंटित किये जोय, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न विभागों द्वारा श्रम सहकारी समितियों को उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्य आवंटित नही किए जा रहें हैं। जिस कारण स्थानीय बेरोजगारी को इन समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन कराने में कठनाईया उत्पन्न हो रही है।

2– यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इन समितियों को अधिकाधिक कार्य मिले ताकि स्थानीय बेरोजगारो को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो सके।

3– उपर्यृक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कई ऐसे कार्य है। जिनके लिए संविदा आमंत्रित किए जाने के प्राविधान नही है, ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम ग्राम विकास विभाग तथा पंचायत राज विभाग द्वारा चलाये जाते है। इन कार्यक्रमों में भी स्थानीय बेरोजगारों का बिना निविदा रोजगार प्रदान करने का प्राविधानित है, ऐसे रोजगारों को भी श्रम सहकारी समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय ब्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का वास्तव में लाभ हो सके, अतः निविदा प्रणाली के अतिरिक्त अधिकाधिक कार्य भी श्रम सहकारी समितियॉ द्वारा कराया जाए।

4– उक्त शासनादेश के कार्यान्वयन हेतु यह भी आवश्यकता है कि श्रम सहकारी समितियॉ द्वारा श्रम विभाग के विभिन्न अधिनियमों / शासनादेशों को भी अनुपालन किया जाये।

5– श्रम सहकारी समितियों को अधिकाधिक कार्य तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो इस हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समींक्षा समिति का गठन किया जाता है :–

(1) जिलाधिकारी–	अध्यक्ष,
(2)मुख्य विकास अधिकारी–	उपाध्यक्ष,
(3) सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ–	संयोजक सचिव,
(4)(क) वन विभाग, लो0नि0विभाग, जल निगम जल संस्थान ग्रामीण अभियन्त्रण, सिंचाई लघु सिंचाई कृषि, ग्रम्य विकास तथा पशुपालन आदि विभाग के सर्वोच्च जिला स्तरीय अधिकारी–	सदस्य
(ख) श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकरी–	सदस्य,
(ग) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के दो प्रतिनिधि (अधिकतम एक वर्ष के लिए)–	सदस्य
(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित श्रम समितियॉ के दो प्रतिनिधि (अधिकतम एक वर्ष के लिए)–	सदस्य,

6– उक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रेमास में एक बार आहुत की जाए और त्रैमासिक प्रगति शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये ।

भवदीय

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव,

संख्याा–270 /गपअ.1 / तद्दिनांकित,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
2– मुख्य वन संरक्षण उत्तरॉचल ।
3– मुख्य अभियन्ता लोक निमार्ण/सिंचाई /लघु सिंचाई/पेय जल एवं ग्रामीण अभियनत्रण सेवा उत्तरॉचल ।
4– ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरॉचल।
5– श्रम आयुक्त उत्तरॉचल ।
6– निदेशक नियोजन एवं पशुपालन विभाग उत्तरॉचल ।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरॉचल ।
8– समस्त मुख्य निबन्धक/समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
9– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर उत्तरॉचल ।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या–222 / गपअ.1 / 2004

प्रेषक,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन,

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरॉचल शासन,
देहरादून।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः देहरादून दिनांक 07 जुलाई 2004।

विषयः– राज्य में निबन्धित श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारी समितियॉ को बिना टेन्डर के निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य आवंटन किया जाना।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अर्न्तगत पंजीकृत श्रम सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जिनके द्वारा निर्माण कार्य कराये जातें है, के द्वारा श्रम सहकारी समितियों को बिना नितिदा या कोटेशन मॉगे निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्राथमिकता के आधार पर 1.00 लाख रू0 मूल्य तक के निर्माण कार्य आवंटित किये जाये–

(1) श्रम सहकारी समिति उत्तरॉचल राज्य में स्थिति हो तथा उसका कार्यक्षेत्र उत्तरॉचल राज्य हो व निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल द्वारा पंजीकृत हो।

(2) श्रम सहकारी समितियों का नियमित आडिट हो रहा हो ऐसी समिति आडिट में न्यूनतम 'बी' श्रेणी की हो, श्रेणी 'ए' की सहकारी समितियॉ को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) कार्य का ठेका जिले के लिये स्वीकृत दरों को अनुसूचित या स्वीकृत विभागीय आगणन के अनुसार जो भी कम हो, के आधार पर दिया जायेगा।

(4) जनपद में उक्त श्रेणी की एक से अधिक श्रम सहकारी समितियों द्वारा कार्य आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की दशा में ऐसी समस्त समितियों से सीमित टेंडर या कोटेशन प्राप्त करके सबसे कम टेंडर देने वाली समिति को कार्य आवंटन किया जायेगा।

(5) ऐसी श्रम सहकारी समितियों से सामान्य बनाया / जमानत की धनराशि जमा कराने में छुट रहेगी।

(6)कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में समितियों को माप के आधार पर पाक्षिक भुगतान किया जायेगा।

(7) ऐसी समिति के पास निर्माण कार्य करने हेतु उपयुक्त साधन हो तथा पूर्व में उनके कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई शिकायत न हो अथवा उस समिति को कार्य करने हेतु किसी स्तर से प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित न किया गया हो।

(8) यह सुनिश्चित किया जाये कि यह सहकारी समितियॉ वास्तविक हो तथा किसी व्यक्ति या परिवार के लिए छद्म आवरण / संस्था के रूप में कार्य न कर रही हो।

(9) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–398/वित्त अनु0–2/2004 दिनॉक 08 जुलाई 2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

कृपया उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

संख्या–222(1) /गपअ–1/2004 /तद्दिनॉक /उक्तानुसार

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरॉचल।
2– निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
3– समस्त सहायक निबन्धक उत्तरॉचल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तरॉचल पौडी/नैनीताल।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव ।

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सॅ0 205/अधि0/एमओयू/2003–04 दिनॉक 05–11–2003 के कम में नाबार्ड मूंबई के पत्रांक 113/आईडीडी/9/2004 दिनॉक 15–05–2004 में निर्गत निर्देशों को घ्यान में रखतें हुए उत्तरॉचल के जिला सहकारी बैंको की विकास कार्य योजना एवं सहमति ज्ञापन पत्र के प्राविधानों के निर्धरित समय सारिणी के अन्तर्गत कियान्वयन एवं समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है–

राज्य स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति–

1– निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल	अध्यक्ष	
2– अध्यक्ष, शीर्ष सहकारी बैंक		सदस्य
3– सचिव (वित्त) द्वारा नामित प्रतिनिधि		सदस्य
4– प्रभारी, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	सदस्य	
5– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	
6– अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल		सदस्य
7– प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शीर्ष सहकारी बैंक उत्तरॉचल	सदस्य/संयोजक	

जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति–

1– उपनिबन्धक, सहकारी समितियॉ	अध्यक्ष
2– सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के सभापति/अध्यक्ष	सदस्य
3– शीर्ष सहका बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
4– क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, उत्तरॉचल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6– सम्बन्धित जनपद के जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ	सदस्य
7– सम्बन्धित जनपद के जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ	सदस्य
8– सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक	सदस्य/संयोजक

उक्त राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षा समितियों की बैंठक प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात अगले माह की 25 तारीख तक कराने का दायित्व कमेटी के सदस्य–संयोजक का होगा ।

(पराग गुप्ता)
निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

कार्यालय	**निबन्धक**	**सहकारी**	**समितियॉ**	**उत्तरॉचल ।**
पत्रांक 83	**/2004–05**	**/कैम्प देहरादून**	**/दिनॉक**	**6 नवम्बर 2004।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित–

1– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल को अनुपालनार्थ।
2– समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल को अनुपालनार्थ।
3– उपनिबन्धक, सहकारी समितियॉ, देहरादून /अल्मोडा को अनुपालनार्थ।
4– अपन निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
5– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी को अनुपालनार्थ।
6– समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरॉचल।
8– मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
9– मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्यालय, मुम्बई।
10– मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
11– सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
12– सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
13– प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल।

निबन्धक
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।
पत्रांक सी–17 /अधि0/एन0पी0ए0 /2003–04 /दिनॉक जून 08.2003।

1–समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
2–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,उत्तरॉचल।

विषयः– सहकारी समितियॉ में बकाया ब्याज एवं गैंर निष्पादक आस्तियों के विरूद्व प्राविधान।

सहकारी संस्थाओं द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों (एन0पी0ए0) के आकंलन तथा उसके विरूद्व प्राविधान विषयक भारतीय रिजर्व बैंक/नावार्ड के निर्देशों के तहत जिला सहकारी बैंकों के द्वारा वांछित प्राविधान किया जाना है । तद्नुसार परिपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं अन्य क्रेडट समितियों द्वारा उक्त का अपुपालन नही किया जा रहा है। इस स्थिति में सहकारी समितियों द्वारा अशोध्य एवं सदिंग्ध ऋण पर ब्याज आंकलित कर लाभ में काल्पनिक वृद्वि की जा रही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव समितियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। सहकारी समिति अधिनियम व नियमों में भी प्राविधान है कि लाभ का विवरण बकाया ब्याज घटाकर किया जाये। इस परिपेक्ष्य में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है।

1– 31.03.2003 को बकाया ब्याज का शत प्रतिशत प्राविधान किया जाये । समिति में हानि होने पर भी बकया ब्याज का पूर्ण प्राविधान किया जाये।

2– 31.03.2003 को 5 वर्ष व उससे अधिक अवधि के बकाया का 25 प्रतिशत प्राविधान किया जाये तथा अगामी वर्षो में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष व उससे अधिक की बकाया आंकलित कर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्राविधान किया जाये। इस प्रकार 4 वर्षो में 5 वर्ष से अधिक के बकाया के विरूद्व 100 प्रतिशत प्राविधान कर लिया जाये।

3– 3 वर्ष से 5 के मध्य के बकाया हेतु प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष मे 75 प्रतिशत, पंचम वर्ष में 100 प्रतिशत प्राविधान किया जाये ताकि 3 वर्ष में 5 वर्ष तक का बकाया शतप्रतिशत आच्छादित हो सके।

4– समिति के संतुलन पत्र दिनांक 31.03.2003 के अनुसार समिति सदस्यों पर लगे ऋण की अपेक्षा कार्य विवरण पत्र के अनुसार सदस्यो पर लगा ऋण कम है तो अन्तर की धनराशि का 31.03.2003 को शतप्रतिशत प्राविधान किया जाये।

अतः 31.03.2003 को समस्त सहकारी वर्ष हेतु सही–सही कार्य विवरण तैयार करा कर तथा 5 वर्ष व उससे अधिक एवं 3 वर्ष व 5 वर्ष के मध्य की अवधि के बकाया की सदस्यवार सूची तैयार करा कर उक्तानुसार प्राविधान करातें हुये 31.03.2003 का संतुलन पत्र यथाशीघ्र तैयार कराया जाये, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि समिति के द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए सही–सही संतुलन पत्र तैयार किया गया है।

उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये, ताकि समितियों की सही आर्थिक स्थिति प्रदिर्शित हो सके।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

पत्रांक सी–17/ अधि0/ तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित।

1– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून ।
2– महा प्रबन्धक नावार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ।
3– सचिव सहकारिता, उत्तरॉचल शासन, देहरादून ।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल ।

उत्तरॉचल शासन
सहकारिता विभाग,
संख्या–423 / 2004 / गपअ.1 / 2004
देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरॉचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 34 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा के प्राविधानों के अन्तगत विभाग के नियन्त्रणाधीन समितियों के नाम निर्देशन की शक्तियों का प्रयोग करने की एतद् द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है ।

1– जनपद की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों हेतु।

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

2– अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त केन्द्रीय / जिला स्तरीय सहकारी समितियों हेतु।

उप निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

3– अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त शीर्ष / राज्य स्तरीय सहकारी समितियों हेतु।

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।

(पराग गुप्ता)
सचिव।

संख्याः– 423 (1) **/तद्दिनॉक।**
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
2– समस्त जिला अधिकारी, उत्तरॉचल देहरादून।
3– अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
4– समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
5– समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
6– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(पराग गुप्ता)
सचिव ।

उत्तरॉचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या 159(1)/प/व0ग्रा0वि0/सह0/2001
देहरादूनः दिनॉकः 31 अगस्त 2001

उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 ग्प *1966*) की धारा–3 की परधारा (2) के अन्तर्गत निबन्धक, सहकारी समितियॉ से सम्बन्धित समस्त शक्तियां जो निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा विभिन्न विभागाध्याक्षों एवं विभागीय अधिकारियों को प्रदत्त की गयी थी, को उत्तरॉचल के महामहिम राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से विखडित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

समितियों का प्रकार	अधिसूचना संख्या
आवास समितियां	1–सहकारिता विभाग ग/148/12–ग क/70 दिनॉक 11.02.1970 2–4592/12–ग–1–77–7 (8)–1976 दिनांक 06.12.1977 3–सहकारिता विभाग (1) 2711/12 सी–1–12 अ सं0 76 दिनांक 15.06.1976 4–सहकारिता विभाग (1) 771/ग्प्/सी दिनांक 10.08.1989
औद्योगिक समितियॉ	1–ग/1314/12–ग क 314 (आर)–62 दिनांक 09.08.1970 ग0प्र0 18.04.1970 2–ग 558/12–ग क–314 (आर)–62 दिनांक 09.08.1971 ग0प्र0 28.03.1971 3–सहकारिता अनुभाग–1 3816/(ए)–12 ग–प–80–7(19)–76दिनांक 08.05.1981 4–3816/प्/12 ग–1–80–7 (19)–76 दिनांक 08.05.1981 ग.प्र. 08.05.1981 5– 1813/12–1 दिनांक 22.11.1986
मुख्य लेखा परीक्षक सहकारी समितियॉ व पंचायतें पंचायतें	1–सहकारिता विभाग 9166–ग/12–ग क–5 (3)–70 दिनांक 29.03.1971 ग.प्र. 06.11.1971
हथकरघा व कपड़ा समितियॉ	1–सहकारिता अनुभाग 4668/ग–1–77–7(19)–76 दिनांक 07.02.1978
मत्स्य समितियॉ	सहकारिता अनुभाग–1 5525/12 सी–1–82–7(6)–1982 दिनांक 29.01.1983
रेशम उत्पादन समितियॉ	सहकारिता अनुभाग–1 2851/ग्प–ब दिनांक 31.07.1988

खादी तथा ग्रामोद्योग समितियॉ	सहकारिता अनुभाग–1 1627 / ग्रप–ब–1–92–7–(7)–84 दिनांक 18.07.1991
उद्यान उत्पाद की मार्केटिग व प्रोसेसिंग समितियॉ	सहकारिता अनुभाग–1 434 / ग्रप–ब–1–92–7(7)–84 दिनांक 04.04.1992

उक्त के सन्दर्भ में, इसका प्रकाशन उत्तरॉचल राज्य के शासकीय गजट में तद्दिनांक को कर दिया जाये।

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 159 /(1) प /सहकारिता /व0ग्रा0वि0 /2001 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–उक्त की अग्रेजी अनुवाद सहित, उप निदेषक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड 'ख' में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री उत्तरॉचल शासन।
3–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरॉचल शासन।
4–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तरॉचल शासन।
5–समस्त सचिव/अपर सचिव/संचुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तरॉचल शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
7–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरॉचल।
8–उप निबन्धक,/अपर निबन्धक/निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
9–समस्त सम्बन्धित संस्थायें/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
10–समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
11–समस्त अनुभाग, सचिवालय।
12– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।

आज्ञा से

(डा0पी0एस0गुसॉई)
अपर सचिव,

उत्तरॉचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या–24 / सह0 / 2000
देहरादूनः / दिनॉकः 31 मार्च, 2001
कार्यालय–ज्ञाप

उत्तरॉचल में सहकारिता कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुसंगत करने के लिये दि0 31.01.2001 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषित होने की तिथि से उत्तरॉचल राज्य में निम्नानुसार दो सहकारी शीर्ष संस्थाओं के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के रूप में जिला सहकारी बैंको के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करायेगा, उत्तरॉचल में दीर्घकालीन ऋण के लिए बनी शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाओं को इस प्रस्तावित बैंक के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

3–उत्तरॉचल सहकारी विपणन संघ प्रदेश स्तर पर समस्त ऋणेत्तर कार्य करेगी जैसे मूल्स समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषि उपजों की खरीद, नैफेड / एन0सी0डी0सी0 के कार्यक्रम इत्यादि।

4–उपरोक्त दोनों संस्थाओं में वर्तमान में शीर्ष संस्थाओं के उपलब्ध कर्मचारियों / अधिकारियों को यथासम्भव समायोजित किया जायेगा। भविष्य में आवष्यकतानुसार उक्त संस्थाएँ अपनी मानक उपविधियों के अनुसार कार्य करेगी, जिला सहकारी बैंको में कार्यरत वर्ग–1 एवं प्रवेश की भॉति उत्तरॉचल में भी सम्वर्ग प्राधिकारी का गठन किया जायेगा।

5–उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय हल्द्वानी में तथा उत्तरॉचल सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय देहरादून में होगा।

6–सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उपरोक्तानुसार दोनों शीर्ष संस्थाओं के गठन हेतु आवष्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगा।

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठाकंन सं. 24 (1) / सह0 / 2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरॉचल, इलाहाबाद।
2–सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरॉचल शासन।
3–सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरॉचल शासन।
4–समस्त प्रमुख सचिव उत्तरॉचल शासन।
5–आयुक्त कुमॉयूँ मंडल, नैनीताल / गढ़वाल मंड़ल पौड़ी।
6–आयुक्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
7–अपर सचिव, सहकारिता उत्तरॉचल शासन।
8–संयुक्त सचिव गृह / गोपन (मंत्रीपरिषद)उत्तरॉचल शासन।
9–निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
10–अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
11–उप निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल।
12–संयुक्त विकास आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
13–समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
14–क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी0 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
15–सचिवालय के समस्त विभाग।
16–उपनिदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तरॉचल रूड़की को 200 प्रति मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17–गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0पी0एस0गुसॉई)
अपर सचिव

उत्तरॉचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या 159(1)/प/व0ग्रा0वि0/सह0/2001
देहरादूनः दिनॉकः 31 अगस्त 2001

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 ग्, 1966) की धारा 122 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1–1904) की धारा–21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम सं0 ग् सन् 1966 के अधीन गठित उ0 प्र0 सहकारी सेवा मण्डल नियमावली जो अधिसूचना सं0–366–ग/12–ग–3–36–71 दिनॉक 04.03.1972 गजट दिनांक 24.02.1973 में प्रकाशित हुई थी, को श्री राज्यपाल विखण्डित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल, यह भी अधिसूचित किये जाने कि सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि उत्तरॉचल राज्य की समस्त सहकारी समितियॉ जो उक्त अधिनियम की धारा 122 एवं इसके अधीन उक्त नियमावली की परिसीमा के अन्तर्गत थी, को निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल देहरादून द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किया जायेगा।

उक्त प्राविधानों के सन्दर्भ में, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन के दिनॉक से तुरन्त प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव,

संख्या /प /व.ग्रा.वि. /सह. /2001 /तद्दिनॉक।

1–निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री उत्तरॉचल शासन।
2–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरॉचल शासन।
3–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तरॉचल शासन।
4–समस्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तरॉचल शासन।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
6–समस्तत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरॉचल।
7–उक्त की प्रति अंग्रेजी अनुवाद सहित, उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी।

परिशिष्ठ के भाग–4 के खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियॉ शासन के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने का कष्ठ करें।

8–उप निबन्धक/अपर निबन्धक/निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
9–समस्त सम्बन्धित संस्थायें, द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
10–समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
11–समस्त अनुभाग, सचिवालय।
12–समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरॉचल।

आज्ञा से

(डा0पी0एस0गुसॉई)
अपर सचिव,

उत्तरॉचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या 448 / व0ग्रा0वि0 / सह0 / 2003
देहरादूनः दिनॉकः 28 अगस्त, 2003

अधिसूचना

उत्तरॉचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 (उत्तरॉचल अनिधनियम संख्या 4 वर्ष 2003) की धारा 3 (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम में रजिस्ट्रार की शक्तियॉ अपर निबन्धक सहाकरी समितियॉ उत्तरॉचल उप निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल को प्रयोग किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उक्त के अतिरिक्त अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील क्षेत्र को सब–रजिस्ट्रार घोषित करतें हुऐं उन्हें अपने अधिकारिता क्षेत्र की प्राथमिकता सहकारिताओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहकारिताओं को निबन्धित करने की शक्ति प्रदान करते है।

आज्ञा से

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,

संख्या _____ / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी, उत्तरॉचल।
2–समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरॉचल।
3–समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरॉचल।
4–उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल।
5–अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल मुख्यालय।
6–निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा।
7–निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी।
8–उप निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजकीय–गजट में प्रकाशित करते हुऐ गजट की 200 प्रतिलिपियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव,

उत्तरॉचल शासन
वित्त अनुभाग–5
सं0– /वि0 अनु0–5 /स्टाम्प /2003
देहरादूनः दिनॉक 15 सितम्बर, 2003।

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 (दस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,

संख्या–317(1) /वित्त अनु0–5 /स्टाम्प /2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरॉचल शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
3–महानिरीक्षक, निबन्धक, उत्तरॉचल, देहरादून।
4–महालेखाकार, उत्तरॉचल, सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड़ इलाहाबाद।
5–उप निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनॉक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड़ (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6–न्याय/विधायी अनुभाग।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,

उत्तरॉचल सरकार

निबन्धन प्रमाण–पत्र

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 सहपठित उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11.1966 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरॉचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 उत्तरॉचल को सहकारी समिति के रूप में निबन्धित करने के श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा अन्य द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम संख्या 11.1966/की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया गया है, और उक्त समिति/निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित उपविधियों सहित/उक्त अधिनियम के अधीन उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तो और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और किये गये सामान्य या विशेष आदेशो तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तरॉचल राज्य की, संख्या यू0 02 के रूप में निबन्धित की गयी।

मुहर–

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल,
अल्मोड़ा।

दिनॉक–

उत्तरॉचल सरकार

निबन्धक प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (सह पठित उ0प्र0 पुर्नगठन 2000) (उत्तरॉचल अधिनियम सं0 11.1966) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरॉचल राज्य सहकारी बैंक लि0 को सहकारी समिति के रूप में निबन्धित करने के श्री नवीन चन्द्र दुमका तथा अन्य द्वारा उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 (सहपठित उ0 प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000)/उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11,1966/की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति/निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र सके साथ प्रेषित उपविधियों सहित/उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तो और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उत्तरॉचल राज्य की संख्या यू0–01 के रूप में निबन्धित की गयी

मुहर–

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल,
अल्मोड़ा।

दिनॉक–04–06–2001